स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–22, अंक–1, पौष–माघ 2070, जनवरी 2014

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–6

भारत को अपने विकास के लिए विदेशी पूंजी की कोइ आवश्यकता नहीं है। जितनी पूंजी भारत को चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में भारतीयों के परिवारों की बचतें संग्रहित है। आज भारत में कुल 1.2 प्रतिशत विदेशी निवेश लगा हुआ है जिसके लिए हम विदेशी कंपनियों के हाथों अपने सभी संसाधन लुटवाने. . .

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा :

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घोष
नीति बदलो – देश बचाओ /6

आन्दोलन : पारित प्रस्ताव–1, 2, 3, 4 /10–15

अभिमत :

विश्व व्यापार संगठन में चाहिए बड़ा सुधार
– भारत डोगरा /16

कृषि :

अन्नदाता ने अर्थव्यवस्था को दी संजीवनी
– देविन्दर शर्मा /18

मुद्दा :

भ्रष्टाचार के कंधे पर सवार महंगाई
– आलोक पुराणिक /19

सामयिकी :

आम आदमी पार्टी : बाहरी प्रभावों पर दृष्टि आवश्यक
– डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा /21

विचार–विमर्श :

विदेशी आइने में 'आप' का अक्स
– अरुण तिवारी /25

पड़ताल : नरेन्द्र मोदी : निर्दोष होते हुए दोषी होने की 12 वर्ष की पीड़ा
– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल /27

पर्यावरण :

खतरनाक स्तर पर पहुंचता प्रदूषण
– अरविन्द जयतिलक /32

मंथन :

नई उम्मीदों का वर्ष 2014
– निरंकार सिंह /34

कृषक :

किसान मरें तो मरें – लेकिन मिल मालिक मौज करें
– नरेश सिरोही /36

पाकठनामा/4, समाचार परिक्रमा/ 29

पाठकनामा

हिन्दी पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार ही नहीं मिले तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या महत्व?

ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार को युवा वर्ग के रोजगार की कोई चिंता ही नहीं है। अभी हाल ही में एसपायरिंग माइंड्स कंपनी ने वर्ष 2013 में जारी रिपोर्ट में मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया है। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार 47 प्रतिशत स्नातक पास रोजगार के लायक ही नहीं है। कंपनी ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा ज्ञान कौशल को ध्यान में रखते हुए यह पाया कि 47 प्रतिशत स्नातक किसी भी क्षेत्र में रोजगार के काबिल नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो सरकारी स्कूल में दी जानी वाली शिक्षा का क्या औचित्य रह गया है। हिन्दी माध्यम से स्नातक कर रहे युवाओं को अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर वो ऐसी शिक्षा को क्यों पढ़ रहे है? केन्द्र और राज्य सरकारें सरकारी स्कूल और महाविद्यालयों में क्यों ऐसी शिक्षा को पढ़ा रहा है जो स्नातक हो जाने के बाद रोजगार भी प्रदान नहीं करेगी। अतः जरूरत है केन्द्र और राज्य सरकारें हिन्दी राज्यों के हिन्दी छात्रों के अनुरूप बाजार प्रणाली में भी हिन्दी के प्रयोग पर ज्यादा ध्यान दें अन्यथा फिर सरकारी स्कूलों की शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह पाएगा।

– राकेश दास, मीडिया अपार्टमेन्ट, अभय खण्ड, गाजियाबाद

किसानों की चिंता करें सभी राज्य सरकारें

स्वदेशी पत्रिका का दिसम्बर अंक पढ़ा। लेखों के साथ चित्रों का संयोजन सामंजस्य पूर्ण हो तो बेहतर होगा। इस बार का अंक विविधतापूर्ण लेखों के कारण महत्त्वपूर्ण बन पाया है। आवरण कथा 'जीत नहीं हार है बाली समझौता' का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 'चीनी संकट के आहट'' गन्ना किसानों की समस्याओं पर आधारित लेख काफी अच्छा लगा।

देखा जाए तो आज भारतीय गन्ना किसानों की हालत काफी खराब है। केन्द्र और राज्य सरकारों के दबाव के कारण कई चीनी मिलें चालू तो गई है परन्तु चीनी मिलें किसानों को उचित मूल्य भी नहीं दे रही है साथ ही उनका बकाया पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। एक तरफ तो की खाद सामग्रीयों की कीमतें बढ़ रही है तो दूसरी तरफ किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा हैं। आज आवश्यकता है भारतीय किसानों की सुरक्षा कैसे की जाए? निश्चित रूप से यह सरकार की जिम्मेदारी है परन्तु यूपी सरकार मिल मालिकों का हित कर रही है जो गलत है।

– सूरज प्रताप, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

नरेंद्र मोदी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस ने देश में नरसंहार कराया है। प्रधानमंत्री का मोदी पर बयान साबित करता है कि उन्हें अपने ही देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है।

– रामदेव बाबा

चूंकि पीएम ने रहस्योद्घाटन किया है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान लगभग होने वाला था, इसलिए यह जरूरी है कि वह देश को बताएं कि उस विफल रहे समाधान में क्या–क्या बातें थी।

– अरुण जेटली

67 वर्षों से अपना शासन होने के बावजूद आज भी आधी आबादी भयंकर गरीबी से जूझ रही है। आज जरूरत सिर्फ एक नई सरकार की ही नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली की भी है।

– शेखर कपूर

सिर्फ कानून बना देने भर से उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा। कानून को सही ढंग से लागू भी किया जाए। मैं राज्यों, जिलों और सभी स्तरों पर निगरानी संस्थाओं का गठन करूंगा।

– अन्ना हजारे

लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को मेरा समर्थन है। कांग्रेस इसे लाने का श्रेय ले रही है मगर हकीकत यह है कि दबाव के कारण सरकार ने इसे विधेयक को बढ़ाया और इसमं आवश्यक संशोधन किया।

– सुषमा स्वराज

'आप' ने वादा किया था कि कांग्रेस से ना तो समर्थन लेंगे और ना ही उसे समर्थन देंगे। लेकिन अब 'आप' को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने किस मजबूरी में भ्रष्ट कांग्रेस से गठबंधन किया।

– डॉ. हर्षवर्धन

मुझे समर्थन देने के लिए देश का शुक्रिया करती हूँ। मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।

– देवयानी

संपादकीय

रणछोड़ प्रधानमंत्री

पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक प्रेस वार्ता में यह स्वीकार किया कि उनकी सरकार न तो रोजगार के अवसर पैदा कर सकी, न तो उत्पादन बढ़ा सकी और न महंगाई कम कर सकी। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अब वह प्रधानमंत्री के रूप में अपनी उम्मीदवारी नहीं चाहते और वे इस सरकार के कार्यकाल के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनना देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इन व्यवक्तव्यों से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली यह सरकार अब जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकती, इसलिए चुनाव से पहले ही रण छोड़ने का ऐलान कर रही है। अभी तक जो भी डॉ. मनमोहन सिंह को एक जिम्मेदार नेता और एक आदर्श अर्थशास्त्री समझते थे उनको बड़ी निराशा हुई कि 1991 में देश को भारी आर्थिक संकट से निकालने वाला अर्थशास्त्री आखिर 2014 में क्यों हथियार डाल गया। आज हमारी अर्थव्यवस्था फिर से गहरे संकट में है। निम्न व मध्यआय वर्ग के लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। बैंकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है और महंगाई एक तरह से दहशत का पर्याय बन गई है। औद्योगिक उत्पादन दर में भारी गिरावट है तो निर्माण उद्योग पूरी तरह चौपट है। ऐसे में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अपनी विदाई गीत गाता है तो उसकी लाचारी सीधे सामने आती है। लगातार यह बात उठती रही है कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह कभी भी अपनी स्वतंत्र राय नहीं रख सके। उन्होंने खुद स्वीकार भी किया कि सत्ता के दो केन्द्र रहे, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी रहीं। सत्ता के ये दोनों केंद्र अपनी अपनी तरह से सरकार चलाते रहे। प्रधानमंत्री ने स्वतः होकर न तो अपने हिसाब से नीतियां बनाई और जो नीतियां बनी भी तो सही से उनका अनुपालन नहीं करवाया। न सिर्फ उन्होंने अपनी स्वायत्ता खोकर काम किया, बल्कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी कभी भी उनके प्रति अपनी जवाब देही नहीं समझी। खासकर कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के कोटे से बने मंत्रियों ने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा समझी ही नहीं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और करुणानिधि की डीएमके पर प्रधानमंत्री की कभी जोर ही नहीं चला। नतीजा यही होना था। कांग्रेस नेतृत्व में बनी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह ढ़ेर हो गई। कई बार सरकार के लिए स्थितियां शर्मनाक बन गई। रुपये को गिरने से बचाने के लिए सरकार के ही लोग साई ट्रस्ट और तिरूपति बालाजी मंदिर से सोना मांगने तक की सलाह देने लगे। देश के नहीं विदेश के भी आर्थिक संस्थान प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की काबिलियत पर शक करने लगे। मौजूदा हालात इतने बिगड़ चुके है, कि मनमोहन सिंह को खुद को साबित करने का अवसर खत्म हो चुका है। अब चूंकि आम चुनाव सामने है तो चुनौतियां भी मुंह बाये खड़ी है। नई सरकार के लिए एक ऐसा वातावरण सामने आएगा जहां से उससे ढ़ेर सारी उम्मीदे होंगी। आनन फानन में सुधार और उपाय करने होंगे। तत्काल राहत की जरूरत होगी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव लड़ने वाली पार्टियां जनता के सामने आर्थिक नीतियों का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर देश को यह बताए कि यदि वे सत्ता में आती है तो आर्थिक संकट दूर कैसे करेंगी। देश को बचाने के लिए नीतियां बदलनी होंगी। स्वदेशी जागरण मंच ने हाल ही में त्रिवेन्द्रम में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास कर ''नीति बदलो देश बचाओ'' नारा दिया। मंच ने इस सम्मेलन में बड़ी गंभीरता से यह महसूस किया कि विदेशी सोच और विदेशी पूंजी पर आधारित हमारी मौजूदा अर्थनीति अंततः देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। प्रस्ताव में यह कहा गया कि जब तक भारतीय किसानों, मजदूरों और मौजूद संसाधनों को केंद्र में रखकर नीतियां नहीं बनाई जाती तब तक देश का भला नहीं हो सकता। यह कहाँ तक संभव है कि देश की 70 फीसदी मानव संसाधन को दरकिनार कर कोई नीति प्रगति वाहक हो सकती है। हर हाथ को काम मिले बिना तरक्की का मार्ग नहीं खुल सकता। देश में सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टियों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में देशपरक नीतियों का खुलासा करना ही होगा।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घोष

नीति बदलो - देश बचाओ

भारत को अपने विकास के लिए विदेशी पूंजी की कोइ आवश्यकता नहीं है। जितनी पूंजी भारत को चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में भारतीयों के परिवारों की बचतें संग्रहित है। आज भारत में कुल 1.2 प्रतिशत विदेशी निवेश लगा हुआ है जिसके लिए हम विदेशी कंपनियों के हाथों अपने सभी संसाधन लुटवाने के लिए तैयार हो रहे हैं।

13 दिसम्बर 2013 को केरल के त्रिवेन्द्रम में स्थित पुत्तरी कन्डम मैदान में बाबू गेनू सभागार में मंच का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा के द्वारा मंच के ध्वज के आरोहण के साथ हुआ।

मुख्य अतिथि श्री.पी. गोपीनाथन नायर (राष्ट्रीय अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधि) रहे। उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के.पी. कैलाशनाथ पिल्ले, स्वागत समिति के संयोजक श्री पी. सुधाकर, श्री अरुण ओझा (मंच के राष्ट्रीय संयोजक), श्री एस. गुरुमूर्ति (मंच के सह–संयोजक), श्री सरोज मित्र, प्रो. भगवती प्रकाश, डॉ. धनपत राम अग्रवाल (सीए), प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री कश्मीरी लाल (मंच के अखिल भारतीय संगठक), श्री लालजी भाई पटेल (मंच के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख), डॉ. अश्विनी महाजन (मंच के अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख), श्री सज्जी नारायण (भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष), डॉ. मोहिन मिश्रा (भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि), श्री जितेन्द्र गुप्ता (लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि), श्री लक्ष्मी नारायण माला (हिन्दूस्थान समाचार के प्रतिनिधि) इन सभी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन किया गया।

श्री एस. गुरुमूर्ति ने मुख्य उद्बोधन में कहा कि विश्व एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज की स्थिति असमंजस की है। साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूंजीवादी व्यवस्था डूब रही है। नई विश्व व्यवस्था भारतीय दर्शन से ही निकलेगी। सरकार पर निर्भरता के स्थान

पर समाज/परिवार संरचना पर आधारित व्यवस्था होगी। विदेशी पूंजी के स्थान पर भारतीय परिवारों की बचतों के निवेश से ही विकास का मार्ग खुलेगा। पूंजीवाद में व्यक्ति को परिवार, समाज, राष्ट्र, परंपरा एवं संस्कृति से अधिक बड़ा माना गया है। साम्यवाद ने राज्य को निरंकुश बना दिया है एवं व्यक्ति की स्वतंत्र आत्मा को कुंठित किया है। यही दोनों पद्धतियां आधुनिकता व जीडीपी ग्रोथ की पहचान बन गई है।

आज अमरीका के विख्यात बैंक गोल्डमेन सेच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने विकास के लिए विदेशी पूंजी की कोइ आवश्यकता नहीं है। जितनी पूंजी भारत को चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में भारतीयों के परिवारों की बचतें संग्रहित है। आज भारत में कुल 1.2 प्रतिशत विदेशी निवेश लगा हुआ है जिसके लिए हम विदेशी कंपनियों के हाथों अपने सभी संसाधन लुटवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज भारतीय परिवारों की बचत 800 बिलियन डॉलर (1 बिलियन = 6200 करोड़ रुपए। इसी शक्ति व व्यवस्था के बारे में मंच पिछले 20 वर्षों से लगातार सरकार को बता रहा है।

श्री अरुण ओझा (राष्ट्रीय संयोजक, स्व.जा.मंच) ने पिछले एक वर्ष के द्वारा मंच के आंदोलनों व गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया।

उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष श्री. के.पी. कैलाश पिल्ले ने मंच के कार्य की सराहना की और स्वागत समिति के संयोजक श्री. पी. सुधाकर ने धन्यवाद प्रस्तुत किया।

12 दिसम्बर 2013 को दोपहर 3.00 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। शाम 7.00 बजे कलाई मंकल कल्याण मंडपम के परिसार में देश भर से आए प्रतिनिधियों द्वारा बाबू गेनू बलिदान दिवस मनाया गया।

सम्मेलन में 4 प्रस्ताव तथा 1 वक्तय को प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से पारित

किया।

प्रस्ताव : (1) जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के दायित्व से न बचे सरकार – श्री आर. बालाशंकर ने प्रस्तुत किया।

(2) बाली में राष्ट्रीय हितों से समझौता – श्री विक्रमजीत बेनर्जी ने प्रस्तुत किया।

(3) आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा – प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी ने प्रस्तुत किया।

(4) नीति बदलो : देश बचाओ – प्रो. भगवती प्रकाश ने प्रस्तुत किया।

वक्तव्य : भारत के लिए बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां – श्री अजय भारती ने प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर समानान्तर सत्रों का आयोजन किया गया –

(1) **देशी चिकित्सा** : इस सत्र में श्री लालजी भाई एवं डॉ. अनिल राय ने संबोधित किया।

(2) **व्यापार समझौता** : इस सत्र में प्रो. भगवती प्रकाश एवं डॉ. अश्विनी महाजन ने संबोधित किया।

(3) **कृषि** : इस सत्र में डॉ. मोहिनी मोहन मिश्रा एवं श्री संकेत ठाकुर ने संबोधित किया।

(4) **महिला** : इस सत्र में श्री सरोज मिश्र एवं श्रीमती रेणु पुराणिक ने संबोधित किया।

स्वदेशी संदेश यात्रा : 14 दिसम्बर 2013 को दोपहर 3.00 बजे त्रिवेन्द्रम स्थित सचिवालय से स्वदेशी संदेश यात्रा प्रारंभ हुई। देश भर से आए कार्यकर्ता अपने–अपने प्रांत का झंडा, बैनर उठाकर स्वदेशी के नारों के साथ स्थानीय लोगों में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और देश के प्रति समर्पण भावना जगाने का काम कर रहे थे। यात्रा के साथ–साथ केरल के पारंपरिक नृत्य भी चल रहा था। तीन किलोमीटर यह यात्रा पुत्तरी कन्डम मैदान में पहुंचकर विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। जनसभा को गुरुमूर्ति सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया।

विशेष व्याखान :

(1) **आर्थिक** : प्रो. भगवति प्रकाश (मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक) ने कहा कि नवउदार आर्थिक नीतियां भारत के वाणिज्य, उद्योग, निवेश सेवाएं, शोध, मानव–प्रकृति संसाधन, बौद्धिक संपदा, घरेलू बचतों आदि पर कब्जा करने के लिए लागू की गई है। इस कार्य को विकसित देशों ने भारत की सरकार को ही औजार बनाकर लागू करवाया है। स्वतंत्रता पहले भारत से कच्चा माल विदेशों में जाता था, फिर वहां से तैयार होकर भारत आता था। इस कारण हमारी विकास वृद्धि दर कम थी। किन्तु स्वतंत्रता के उपरान्त जब हम आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया तो हम अपने कच्चे माल से स्वयं ही यही पर माल बनाने लगे तथा विदेशों से आने वाले माल पर टैक्स भी लगाने लगे। इससे हमारा उत्पादन व रोजगार के साथ–साथ विदेशी माल पर कर लगाने से देश को टैक्स आमदनी भी बढ़ने लगी। सन् 1950 के दशक में उत्पादक उद्योगों की विकास दर 5.9 प्रतिशत ही गई थी जो कि आज 1 प्रतिशत रह गई है।

यही से समस्या प्रारंभ हो गई। नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की आड़ में भारत के टेरिफ बेरियर एवं सीमाएं खुलवाने का षड़यंत्र रचा गया। जिसके कारण उद्योग–धंधे विदेशी कंपनियों के हाथों में चले गए। वर्ष 2000 में जो सीमेंट उद्योग भारतीयों के पास था आज 2/3 विदेशी कपंनियों के हाथ में चला गया है। लफार्ज सीमेंट का विज्ञापन उसी का परिणाम है। ये विदेशी कंपनियां अपने सामानों बड़े ही षड़यंत्रकारी तरीके से सीरियल/विज्ञापन आदि के माध्यम से हमारे परिवार संस्कृति को सुनियोजित तरीके से तोड़ रही है। उनका मानना है कि भारत में संयुक्त परिवार जितने अधिक होंगे उतना ही उनका माल कम बिकेगा।

सरकार को भ्रम है कि इन कंपनियों के आने से विदेशी पूंजी भी आएगी जिससे देश का विदेशी व्यापार घाटे की पूर्ति का माध्यम खुलेगा।

उन्होंने कहाकि हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि वास्तविक स्थिति डरावनी है किन्तु इसको स्वीकारने का साहस दिखाना ही होगा, जनता तक ले जाना ही होगा तभी समाधन निकलेंगे।

(2) **पर्यावरण** : पर्यावरण के संबंध में प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी ने भारत के पश्चिमी घाटों के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि देश के समुद्री तट जो कि गुजरात से प्रारंभ होकर 1600 कि.मी. दूर कन्याकुमारी तक जाते है, उनके 100 कि.मी. भीतर तक घने जंगल व पहाड़ है। इसी क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है। इन जंगलों में 2500 मिलीमीटर वर्षा होती है और कहीं पर 10,000 मिलीमीटर तक होती है। जिसके कारण यहां से 37 नदियां निकालती है जैसे ताप्ती, काली, कृष्णा, कावेरी आदि। यहां पर फूलों की 4000 प्रजातियां, तितलियों की 330 प्रजातियां, मछलियों की 288 प्रजातियां, उभयचर की 220 प्रजातियां, सरीसृत्र की 225 प्रजातियां, पक्षियों की 500 प्रजातियां और स्तनधारी जीवों की 120 प्रजातियां इन पश्चिमी घाट में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है।

लेकिन अब सरकार के पश्चिमी विकास मॉडल के कारण अब यहां पर पर्यावरण खतरा मंडरा रहा है। खनन माफिया व बिल्डर लॉबी के दबाव में कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट की अधिसूचना को भी करेल सरकारके दबाव में वापस ले लिया है और नई रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आगमी 20 वर्षों में पश्चिमी घाट की वानिकी एवं संपदा खनन एवं बिल्डर माफिय की भेंट चढ़ जाएगा।

(3) **एकात्ममानव दर्शन** : श्री योगानंद काले (मंच के पूर्व राष्ट्रीय सह–संयोजक) ने एकात्ममानव दर्शन के विषय में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा आज एकात्ममानवाद को 50 वर्ष पूरे हो गए है। इन वर्षों से स्पष्ट होता है कि

पश्चिमी का आर्थिक दर्शन विध्वंस का दर्शन है जिसके कारण व्यक्ति से व्यक्ति के बीच दूरियां, भेद, असमानता और विषमता बढ़ी है।

उन्होंने कहा एकात्ममानव दर्शन ही वह व्यवस्था है जिसके कारण भारत की ओर समस्त विश्व देख रहा है।

श्री सरोज मित्र ने एकात्म मानव दर्शन के विषय पर चर्चा को देश में आगे बढ़ाने और आध्यात्मिक चित्ति से निकला हुआ आर्थिक दर्शन ही टिकाऊ एवं सर्वसमावेशी होता है।

(4) **बाली बैठक** : विश्व व्यापार संगठन की बाली बैठक में भारत सरकार ने देश के हितों को समर्पण करते हुए समझौता किया है। इस समझौते के संबंध में मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. घनपराम अग्रवाल, विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री विक्रमजीत बेनर्जी एवं अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख डॉ. अश्विनी महाजन ने अपने–अपने विचार रखें।

डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि पिछले लगभग 19 वर्षों से देश विश्व व्यापार संगठन में हुए समझौतों का दंश झेल रहा है। निःसंदेह सभी समझौते अमरीका और यूरोप के दबाव में किए गए है। आज देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि भारत के किसान कैलीर्फोनिया समेत दुनिया के बाजारों में अपने फूल, फल, सब्जियां बेचकर धनी हो जाएंगे। जिससे देश निर्यात बढ़ जाएगा और देश तरक्की करेगा। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के पक्ष में दिए गए ये सभी तर्क खोखले साबित हुए है। विदेशी सेब, विदेशी सामान आज भारत के बाजारों पर कब्जा जा रहे है लेकिन भारत के किसान कैलीर्फोनिया के बाजारों में फल–फूल बेचने का सपना अधूरा ही रह गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में हमें आयातों पर मात्रात्मक नियंत्रण तो हटाने पड़े जिसके चलते दुनियाभर से अनाज और फल–सब्जियां भारत में आने लगी, लेकिन यूरोप–अमरीका ने भारतीय कृषि उत्पादों पर तरह–तरह के प्रतिबंध लगाते हुए अपने बाजार भारत के लिए नहीं खोले।

वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा निरंतर कह रहे थे कि डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम भारत के विरोधी है, क्योंकि सब्सिडी का हिसाब लगाने के लिए आधार वर्ष 25 साल पुराना है, जो अटपटा ही नहीं, अनुचित भी है। लेकिन अंतिम समझौते में इस नियम को बदलने की कोई बात नहीं की गई। बाली में जिस व्यापार सुविधा के समझौते को अंतिम रूप से मान्य किया गया है, वह वास्तव में विकसित देशों से आने वाले साजो–सामान के लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं का समझौता है। अब बंदरगाहों पर प्रक्रियाओं को कम करना होगा, जिससे अमीर देशों से आने वाले आयात सुविधापूर्वक भारत में प्रवेश कर सकेंगे। भारत में आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटा जीडीपी के 10 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसके चलते हमें भुगतान संकट से जूझना पड़ रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। यह समझौता खाद्यान्नों के आयात को बढ़ावा देगा और हमारे किसानों के हितों पर भीषण आघात करेगा।

मंच देश की जनतो से अनुरोधकरता है कि वे इस समझौते के कारण हुई हानि को समझे तथा यूपीए की सरकार को घुटना टैक नीति का खुलकर विरोध करें।

स्वदेशी जागरणमंच मांग करता है कि – (1) भारत सरकार बाली समझौते पर एक व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा देश को हानि का ब्यौरा भी जनता के सामने रखे।

(2) देशवासियों से आह्वान किया जाता है कि यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो एक व्यापक जनमत को प्रकट करके इस सरकार की गलत नीतियों का प्रखर विरोध करें।

(3) जनता से यह आह्वान किया जाता है कि वे जागरूक रखकर लोकसभा चुनाव के बाद आने वाली सरकार पर इतना दबाव बनाए रखे कि वह देशहितों की तथा देश की संप्रभुता की रक्षा करना सुनिश्चित करें।

14 दिसम्बर 2013 को रात्रि गटशः की बैठकों का आयोजन किया गया।

आगामी कार्यक्रम पर श्री कश्मीरी लाल जी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि कोई भी संगठन अपने कार्यकर्ताओं के आधारपर ही खड़ा होता है। कभी–कभी हम ऊपरी चमक से इतना अभिभूत हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत का आभास ही नहीं कर पाते। जिसका परिणाम देश को देखने को मिला है। अतः आज मंच के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने कार्य को अधिकाधिक विस्तार दें तथा निम्नलिखित आगामी कार्यक्रमों को पूरी शक्ति के साथ क्रियान्वित करें।

- 12वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय सभा – नवंबर/दिसंबर 2014, उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी।
- आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक – दिनांक 22–23 मार्च 2014 को मंच के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी।
- आगामी राष्ट्रीय परिषद बैठक – दिनांक 31 मई–1 जून 2014 को हरियाणा के पानीपत में होगी।
- सभी प्रांतों को अपने यहां प्रांत एवं जिला स्तर पर पत्रकार वार्ताएं आयोजित करके केरल में पारित किए गए प्रस्तावों को मीड़िया में पहुंचाना है। आम जनता में इन प्रस्तावों पर चर्चा एवं विचार गोष्ठियां आयोजित करनी है।
- आगामी आम चुनावों में 4 विषयों को मंच की ओर से प्रमुखता के साथ उठाना है – 1. नीति बदलो – देश बचाओ, 2. कालाधन, 3. खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश, 4. चीन से चुनौती (चीनी समान के कारण लघु उद्योग एवं रोजगार पर भारी प्रभाव पड़ा है। उसकी जानकारी एवं आकलन एकत्रित करना।)
- विश्व व्यापार संगठन की 9वीं मंत्रीस्तरीय बैठक जोकि बाली

(इंडोनेशिया) में 3–6 दिसंबर 2013 को आयोजित की गई थी, उसमें कृषि एवं ट्रेड फेसिलिटेशन (व्यापार सरलीकरण) के मुद्दे पर भारत सरकार ने देश के हितों को समर्पण करते हुए जो हस्ताक्षर किए है उसकी जानकारी सेमिनार/पत्रकार वार्ता/जनसभाएं आयोजित करके आम जनता तक पहुंचाना है।

- सभी प्रांतों को अपने यहां नदियों पर सम्मेलन आयोजित करने है एवं पर्यावरण के विषय पर सर्वेक्षण तथा पुस्तिकाएं तैयार करनी है।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा रचित एकात्ममानववाद दर्शन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरल शब्दों में इस विषय को युवकों को केंद्रित करके अधिकाधिक जनता तक पहुंचाना है।
- इसके अलावा स्थाई विषयों के रूप में साहित्य अध्ययन, नए साहित्य एवं पुस्तिकाओं का निर्माण, विचार मंडल की गतिविधियां, मीड़िया से समन्वय, नए कार्यकर्ताओं को दायित्व तथा अधिकाधिक प्रवास करके मंच के कार्य को विस्तार देना है।
- सभी प्रांतों ने अपने यहां शीघ्रातिशीघ्र प्रांत टोली का गठन करके उनके नाम पते, दूरभाष आदि की सूचि फरवरी 2014 तक केंद्रीय कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को भेजनी है।

नई नियुक्तियां:

1. सीबीएमडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष – श्री रवि विग जी (अभी तक मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे थे।)

स्वदेशी जागरण मंच

2. राष्ट्रीय सह–संयोजक – डॉ. अश्वनी महाजन जी।
3. अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख – श्री अजय पत्की जी।
4. अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख – श्री अन्नदाशंकर पाणीग्रही जी।
5. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर एवं राजस्थान प्रांतों के संगठक – श्री सतीश कुमार जी।
6. दिल्ली एवं हरियाणा प्रांतों के संगठक – श्री कमलजीत जी।
7. तमिलनाडू प्रांत संगठक – श्री एल. संपत कुमार जी।
8. हिमाचल प्रांत संयोजक – श्री नरोत्तम ठाकुर जी।
9. कर्नाटक प्रांत संयोजक – श्री प्रदीप कुमार जी।
10. हिमाचल प्रांत सह–संयोजक – श्रीमति दिनेश गुलेरिया, श्री इंद्र ठाकुर जी (श्री जनकराज मुदगिल पूर्ववत सह–संयोजक के रूप में दायित्व निर्वहन करते रहेंगे।)
11. दिल्ली प्रांत सह–संयोजक – श्री कमल तिवारी जी (सीए)।
12. तमिलनाडू प्रांत सहसंयोजक – श्री रामनम्बी नारायण जी।
13. उत्तराखंड प्रांत सहसंयोजक – श्री विपिन जी (आप विजनौर, सहारनुपर, मुजफ्फर नगर एवं मेरठ जिलों में भी सहयोग करेंगे।)
14. उड़ीसा प्रांत संघर्षवाहिनी प्रमुख – श्री सचिनन्दन दास जी।
15. उड़ीसा प्रांत युवा प्रकोष्ठ प्रमुख – श्री परशुराम दास जी।
16. केरल प्रांत युवा प्रकोष्ठ प्रमुख – श्री गोकुल जी।
17. केरल प्रांत विचार मंडल प्रमुख – श्री संतोष कुमार जी।
18. केरल प्रांत संपर्क प्रमुख – श्री रंजीत कार्तिकेयन जी (सीए)।
19. हिमाचल प्रांत संघर्षवाहिनी प्रमुख – श्री शशी दत्त शर्मा जी।
20. पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत कोष प्रमुख – श्री ऋषि बंसल जी।
21. कालाहांडी (उड़ीसा) विभाग संयोजक – श्री केशव बिहारी जी।
22. राष्ट्रीय परिषद सदस्य – श्री गौतमराम जी (हिमाचल प्रदेश), श्री विकास चौधरी जी (दिल्ली), श्री प्रसन्न छोटराय जी (उड़ीसा), श्री आशुतोष जी (दिल्ली), श्री जीवनधर जैन जी (भोपाल), श्री देशबंधु जी (हि.प्र.)।

समारोप सत्र : राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने कहा कि मंच का आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है। महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए कहा कि गांधी जी ने अपने मृत्यु से एक दिन पूर्व देश के नाम वसीयत में लिखा था कि अभी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने का कार्य शेष है। गांधी जी ने भारत का चित्र रामराज्य के रूप में प्रस्तुत किया था। गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत रामराज्य की कल्पना साम्प्रदायिक नहीं हो सकती। मंच इन्हीं सपनों को पूरे करने के कार्य में लगा है। महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत में उल्लेख किए गए श्लोक को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य मार्ग से हटे बिना, किसी का अहित किए बिना एवं भीख मांगे बिना जो थोड़ा मिले वह सर्वोत्तम है। महात्मा नारद ने महाराज युधिष्ठिर को यह मार्गदर्शन दिया कि गरीबों के भरण–पोषण की व्यवस्था शासन का दायित्व है।

आज भूमंडलीकरण के नाम पर विश्व अर्थव्यवस्था का जो भूमंडीकरण किया जा रहा है वह गरीबों के हित में नहीं है। अतः यह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा हाल ही में अमरीकी विदेशी मंत्री हेनरी किसिन्जर के द्वारा आयरलैंड के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही गई एक टिप्पणी ''ग्लोबलाईजेशन का अर्थ है अमेरिकाईजेशन'' का उल्लेख किया गया। उनकी इसी टिप्पणी से ग्लोबजाईजेशन की पूरी पोल खुल जाती है।

श्री ओझा ने आह्वान किया कि मंच की लड़ाई केवल आर्थिक नहीं है अपितु यह संपूर्ण मानवता के लिए लड़ी जाने वाली एक धार्मिक लड़ाई है। मंच के सभी कार्यकर्ता अपना अहम् को तिरोहित करके इस यज्ञ में अधिकतम भागीदार बनें। वंदेमातरम् के गान के साथ मंच का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हो गया। ❑

बीते वर्ष 13,14,15 दिसंबर, 2013 को मंच का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन, तिरुवनंतपुरम (केरल) में सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय सम्मेलन में चार प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें हम पाठकगण और कार्यकर्ताओं के लिए पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं। – सं.

पारित प्रस्ताव – 1

जन-सुविधाएं उपलब्ध कराने के दायित्व से न बचे सरकार

स्वदेशी जागरण मंच शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, बिजली और यातायात जैसी जनसुविधाओं की बढ़ती हुई कीमत के कारण गरीब जनता को हो रही असुविधा से बहुत चिंतित है। उदारीकरण के नाम पर सरकार न केवल इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में लाभ कमाने के लिए खोल रही है, अपितु अपने मूल दायित्व से भी मुंह मोड़ रही है।

भारत जैसे विकासशील देश में आवश्यक जनसुविधाओं को बाजार के हवाले करना अपराध सरीखा है। इसी कारण से यह एक बड़ा राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है, जैसा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यह सत्य है कि सर्वशिक्षा, व्यापक स्वास्थ्य सेवा, पेय जल तथा यातायात के बढ़ते हुए खर्चे को वहन करना केवल सरकार के ही बूते की बात है। निजी क्षेत्र की सहभागिता आवश्यक प्रतीत होती है, किन्तु यह सहभागिता पारदर्शी तथा शोषण मुक्त होना चाहिए।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनियन्त्रित निजीकरण, आमजन के लिए अभिशाप बना हुआ है। निजी क्षेत्र के लोग सरकार से सस्ती जमीन, रियायती दरों पर अन्य सुविधाएं प्राप्त तो करती है, परन्तु उपभोक्ता को मनमानी कीमत पर यही सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समान शिक्षा के अवसर सारे देश को उपलब्ध कराए। किन्तु जानकार लोगों द्वारा प्रस्तुत रपटों में स्पष्ट रूप से रेखांकित हो रहा है कि निजी शिक्षा संस्थान ऊंची फीस लेकर भी स्तरीय शिक्षा देने में असमर्थ रही हैं। दूसरी तरफ, सरकारी संस्थानों में भी शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसके कारण बाजारी ताकतों को शोषण के लिए अवसर उपलब्ध हो जाते है। दुर्भाग्य से ये शिक्षा संस्थान प्रमाण पत्र धारक असमर्थ नौजवानों की फौज उपजा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में इस मुनाफाखोरी की छूट ने विदेशी शिक्षा संस्थानों को भी भारत की ओर असमान्य रूप से आकर्षित किया है। वे भारत में आने के लिए लालायित है और अपनी सरकारों के माध्यम से भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

सरकार का यह प्राथमिक दायित्व है कि लोगों को उच्चस्तरीय शिक्षा शोषण मुक्त व्यवस्था से उपलब्ध कराएं। ऐसी व्यवस्था के अभाव में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षक शौचालय, स्वच्छता, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। इसका परिणाम यह हुआ कि असमानताजनक गला–काट प्रतियोगिता में भारतीय विद्यार्थी लगातार पिछड़ रहे है और बेरोजगारी बढ़ रही है। यह दृश्य विज्ञान एवं तंत्र क्षेत्र में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का हाल भी इससे भिन्न नहीं है। एक तरफ तो भारत में स्वास्थ्य पर्यटन काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देश के गरीब बीमारों को निजी अस्पतालों एवं बीमा कंपनियों के अपवित्र गठजोड़ के कुचक्र में पिसना पड़ रहा है। तेजी से फैल रहे पंचतारा अस्पतालों से गरीब जनता तो वंचित है ही, परन्तु अपने जीवन भर की पूंजी को निकट संबंधियों के उपचार के लिए इन अस्पतालों में आनेवाले मजबूर मरीजों को अमानवीय ढंग से लूटा जा रहा है। ऐसी रपटें भी उपलब्ध है कि किसानों की आत्महत्या का एक प्रमुख कारण इलाज तथा शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज है। प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में इसके साथ सहमति जताई है।

जहां कहीं एम्स जैसे अच्छे सरकारी अस्पतालों में थोड़ी बहुतस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, वह भी प्रभावी राजनेता एवं नौकरशाह अपने तथा अपने परिवारों के लिए उपयोग करते हैं। यहां पर भी गरीब जनता को मार झेलनी पड़ती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की दशा तो ओर दयनीय है।

पैसे की कमी के कारण देश के अनेक उच्च संस्थानों में खोज के प्रोजेक्टों को बंद करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिक संस्थाओं को आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन संस्थानों से निकलने वाले खोज पत्रों का स्तर काफी नीचे रह जाता है। सरकार को

बिना देर किए स्तरीय खोज को बढ़ावा देने के लिए विदेशी शिक्षा संस्थानों को इजाजत देने से पहले आवश्यक धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि देश की युवा शक्ति का शोषण रोका जा सके।

स्वच्छ पेय जल की उपलब्धि तो देश की जनता के लिए एक स्वप्न मात्र बनकर रह गया है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में भी मानव विकास सूचकांक के अनुसार मात्र 53 प्रतिशत दिल्लीवासियों को घरों में पानी कुछ समय के लिए ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्तर पर तो हालत ओर भी दयनीय है। ऐसे में सरकार पेय जल के वितरण को निजी हाथों में सौंपकर जनता के शोषण का नया मार्ग प्रशस्त कर रही है। सरकारी निजी साझेदारी के तहत बनाए गए मार्गों ने देशवासियों पर एक ओर बोझ लाद दिया है। मनमाने ढंग से टोल टैक्स की दरें तय करके खाने पीने के समान से लेकर व्यक्ति के आने–जाने को महंगा कर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच केन्द्र सरकार से मांग करती है कि –

(1) सरकार शिक्षा स्वास्थ्य, पेय जल, बिजली और गैर शोषणकारी यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी मौलिक जिम्मेवारी का वहन करते हुए लोगों को, विशेष तौर पर गरीबों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

(2) सरकार तथाकथित गरीबों के हितों के नाम पर वास्तव में विदेशी और अन्य कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नए–नए कानून बनाने की जिद से बाहर आकर वास्तव में गरीब और वंचितों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता के साथ कानून बनाएं।

(3) सभी सरकारी निजी साझेदारी परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और गलतियों के लिए जिम्मेवार लोगों को दंडित किया जाए।

(4) सरकारी निजी साझेदारी परियोजनाओं के संदर्भ में कैग की सिफारिशों का सम्मान करते हुए उन्हें लागू कराया जाए।

(5) सरकारी लीज की शर्तों को न मानने वाली निजी कंपनियों को दी जा रही छूटों को तुरत प्रभाव से वापिस लिया जाए। ❑

पारित प्रस्ताव – 2

बाली में राष्ट्रीय हितों से समझौता

बाली (इंडोनेशिया) में संपन्न विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जो हुआ वह दुःखद था। भारत सरकार ने कृषि तथा व्यापार सुविधा समझौते सहित देश के हितों के साथ खिलवाड़ किया। सरकार ने यह बदले में कुछ लिए बिना ही करने की हिमाकत की है। सरकार इसको देश के लिए जीत बता रही है। उसका कहना है कि बाली में हुए समझौते के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आ रही दिक्कतों को समाप्त किया गया है तथा भारत के खाद्य सुरक्षा कानून को समर्थन मिला है।

इस समझौते के अनुसार भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु दी जाने वाली सब्सिडी मान्य 10 प्रतिशत की सीमा को लांघने के बाद भी अब चुनौती नहीं दी जायेगी। परन्तु सरकार देशवासियों को यह बताने से कतरा रही है कि इस समझौते के अनुसार समझौते की तिथि (6 दिसंबर 2013) तक खाद्य सुरक्षा उद्देश्य से जो सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम चल रहे हैं या घोषित कार्यक्रम जिनकी अधिसूचना नहीं हुई है, अब लागू नहीं पायेंगे। यही नहीं इस समझौते में खाद्य सुरक्षा के लिए परंपरागत खाद्यान्नों को ही शामिल किया गया है। लेकिन यदि भविष्य में खान–पान की आदतें बदलती हैं, तो नए प्रकार के खाद्य पदार्थों को उस खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों में शामिल नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं यह समझौता इस प्रकार से बना है कि यदि अनजाने में भी सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न निर्यात बाजार में चले जाते हैं, तो भी उसको विवादित माना जाएगा।

समझौते के प्रारंभ से ही वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा सख्त रवैया लेते हुए घोषणा कर रहे थे कि शांति धारा (पीस क्लॉज) भारत को मान्य नहीं है। 5 दिसंबर को सम्मेलन स्थल पर उन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को अविचारणीय बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान कानून गैर बराबरी और शोषण करने वाले हैं तथा विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण है। उन्होंने 1986–88 की कीमतों को आधार वर्ष मानने को भी दोषपूर्ण बताया। 1988 के बाद खाद्यान्नों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अतः विश्व व्यापार संगठन के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

लेकिन 5 दिसम्बर की रात को कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि भारत के रूख में नरमी आ गई और भारत ने तमाम तर्कों को

दरकिनार कर दिया और समझौते का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया और वह घोषित हो गया।

समझौते का जो अंतिम मसौदा तैयार हुआ है, उसके अनुसार शांति धारा में पारदर्शिता का प्रावधान लागू किया गया है, जिसके अनुसार भारत सहित सभी विकासशील देशों को अपनी सार्वजनिक भंडारण पर सब्सिडी के बारे में तमाम सब्सिडी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी डब्ल्यू.टी.ओ. को देनी होगी और डब्ल्यू. टी.ओ. की कृषि कमेटी उस जानकारी का मुआयना करेगी। इस प्रावधान का मतलब यह था कि, इस दौरान भारत को हर वर्ष डब्ल्यू.टी.ओ. के समझ अपने समस्त खाद्य सुरक्षा खर्च की मात्रा, संरचना और उसके लिए एजेंसियों का ब्यौरा देना होगा और यह स्वीकार भी करना होगा कि वे नियमानुसार सब्सिडी की सीमा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यही नहीं अन्य सदस्य देश भारत के कार्यक्रमों का निरीक्षण कर सकेंगे (यानि गलती पाए जाने पर उसे विवाद में घसीटा जा सकेगा)। देश के अंदरूनी मामलों में इस प्रकार की विदेशी नजर और हस्तक्षेप संम्प्रभुता के क्षरण का द्योतक है।

गौरतलब है कि यह समझौता (कृषि पर समझौते) पर लागू है, सब्सिड़ी एवं प्रतिशोधात्मक उपाय समझौते पर नहीं। जिसके कारण गैरइरादतन ही सही, तय सीमा को पार करने का, निर्यात को प्रभावित करने का आरोप लगाकर इसे इसे विवादित घोषित किया जा सकता है।

पिछले 6 सम्मेलनों से दोहा विकास वार्ताओं की आशा बनी हुई थी, जिसके अनुसार डब्ल्यू.टी.ओ. में हुए अभी तक के समझौतों में विकासशील देशों को जो असमान व्यवहार मिल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा था, उसका निराकरण हो सकेगा। लेकिन इस समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा का जो समझौता किया गया है, उसके अनुसार अब आगामी वार्ताओं को दोहा चक्र से लगभग बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते अमरीका और यूरोप के देश अब अपने मन मुताबित दोहा चक्र को समाप्त करवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में नए मुद्दें शामिल करवाने में सफल हो जायेंगे।

बाली में जिस व्यापार सुविधा के समझौते को अंतिम रूप से मान्य किया गया है, वह वास्तव में विकसित देशों से आने वाले साजोसमान के लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं का समझौता है। इसका मतलब यह है कि अब बंदरगाहों पर प्रक्रियाओं को कम करना होगा, जिससे अमीर देशों से आने वाले आयात सुविधापूर्वक भारत में प्रवेश कर सकें। गौरतलब है कि भारत में आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा जीडीपी के 10 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसके चलते हमें भुगतान संकट से जूझना पड़ रहा है और रूपया दिन–प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। अमीर मुल्कों से आने वाले आयातों को तमाम सुविधायें देने से भारत में आयातों की बाढ़ आ सकती है, जिसके कारण भुगतान संकट और ज्यादा गहरा सकता है।

यही नहीं भारत समेत विकासशील देशों के लिए यह सुविधायें प्रदान करने के लिए तमाम प्रकार के ढ़ांचागत निवेश की जरूरत होगी, जिस पर अब भारी खर्च करना पड़ेगा। आज जब भारत समेत विकासशील देश अपने लोगों को बुनियादी सुविधायें भी नहीं दे पा रहे हैं, अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इस समझौते को लागू करने के लिए खर्च करना पड़ेगा।

इस ड्राफ्ट (अंतिम फैसले) को जिसे भारत सरकार जीत का नाम दे रही है, वह वास्तव में भारत की हार है। जिस बात को जीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह है कि सब्सिडी संबंधी विवादों का अब स्थायी हल निकलने जा रहा है, वह है कि अब स्थायी हल निकलने तक भारत की खाद्यान्न भंडारण को विकसित देश चुनौती नहीं देंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक इस बाबत किसी देश ने भारत के खिलाफ कोई भी विवाद डब्ल्यू.टी.ओ. में डाला नहीं है। भविष्य में भी विकसित देशों के रूख के चलते इस बाबत कोई आशंका नहीं देखी जा रही थी।

यह समझौता वास्तव में खाद्यान्नों के आयात को बढ़ावा देगा और भारत के किसानों के हितों पर भीषण आघात करेगा। स्वदेशी जागरण मंच देश की संभ्रान्त जनता से अनुरोध करती है कि वे इस समझौते के कारण हुई हानि को समझे तथा वर्तमान यूपीए सरकार की घुटना टैक नीति का खुलकर विरोध करे। स्वदेशी जागरण मंच को 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि –

(1) भारत सरकार बाली समझौते पर एक व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा देश को होने वाली हानि का बयौरा भी जनता के सामने रखे।

(2) देशवासियों से आह्वान किया जाता है कि यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो एक व्यापक जनमत को प्रकट करके इस सरकार की गलत नीतियों का प्रखर विरोध करे।

(3) जनता से यह भी आह्वान किया जाता है कि वे जागरूक रखकर लोकसभा चुनाव के बाद आने वाली सरकार पर इतना दबाव बनाए रखे कि वह देशहितों की तथा देश की संप्रभुता की रक्षा करना सुनिश्चित करे। ❑

पारित प्रस्ताव – 3

आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा

पश्चिमी घाट भारतीय तटवर्तीय क्षेत्र के पश्चिमी तट से लगे पहाड़ी कड़ियों को कहते हैं। यह उत्तर से गुजरात में ताप्ती नदी से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है जो 1600 किमी. तक है। यह 6 राज्यों को छुती है जिनमें गुंजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडू शामिल हैं।

पश्चिमी घाट अपने घने जंगलों और शानदार जैव विविधता के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। विश्व के 34 सबसे अच्छे जैव विविधता वाले स्थानों में यह है तथा इनमें भी 8 शानदार स्थानों में यह है।

अपने घने जंगलों और मानसून के समय भारी वर्षा वाले स्थान होने के कारण दक्षिण भारत के लगभग सभी नदियां जैसे कृष्णा, गंगा, भाद्रा, कावेरी, पेरियार, सावरवती, काली, अघनशीनि आदि का यह उद्‌गम स्थल है तथा दक्षिण भारत को यह कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्सर्जन तथा दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं के लिए जल मुहैया कराता है। दरअसल समूचे दक्षिण भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और संस्कृति पश्चिम घाट के पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर निर्भर करती है।

स्वतंत्रता के बाद पिछले 60 वर्षों में पश्चिमी घाट को विकास के नाम पर जैसे खनन, प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों, हाइड्रो–इलैक्ट्रीकल और थर्मल ऊर्जा इकाईयों के द्वारा बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया है।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 2010 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए विश्व के नामी पर्यावरणविद डॉ. माधव गाडगिल, जो भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के पर्यावरण अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष भी थे, के नेतृत्व में पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति बनायी। इस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने बताया कि समूचे पश्चिमी घाट को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र समझा जाना चाहिए। हालांकि विशेष क्षेत्रों के पर्यावरणीय संवेदनशीलता को अलग–अलग बांटते हुए समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र 1, 2 और 3 वर्गों में बांटा तथा इने बचाव के सुझाव दिया।

हालांकि केन्द्र सरकार ने खनन कंपनियों, रियल स्टेट लॉबी, टिम्बर लॉबी एवं अन्य कारपोरेट क्षेत्रों क दबाव में माधव गाडगिल रिपोर्ट को अस्वीकार कर डॉ. कस्तुरी रंगन, जो पूर्व में इसरो के अध्यक्ष रहे हैं तथा वर्तमान में योजना आयोग के सदस्य हैं, के नेतृत्व में एक उच्च लेवल का कार्यदल बना दी जिसका काम माधव गाडगिल की रिपोर्ट पर विचार करना था। कस्तुरी रंगन समिति की रिपोर्ट ने माधव गाडगिल की रिपोर्ट को प्रभावहीन कर दिया। इसने पश्चिमी घाट को दो वर्गों में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक में बांटा। पश्चिम घाट के 63 प्रतिशत भाग को इसने सांस्कृतिक भाग माना जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही आधिक तथा जंगल के क्षेत्र कम थे। रिपोर्ट के अनुसार इसके बचाव की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिमी घाट का 60,000 किमी यानि 37 प्रतिशत क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र माना गया है जहां जनसंख्या घनत्व कम तथा जंगल के क्षेत्र अधिक हैं। प्राकृतिक क्षेत्र को मजबूत बचाव तंत्र को जरूरत है। इस क्षेत्र में कर्नाटक के 1526 गांव तथा केरल क 126 गांव हैं।

आजकल बालू खनन और अन्य खनन गतिविधियां इस क्षेत्र में प्रतिबंधित है। 47 रेड कैटेगिरी के उद्योग भी प्रतिबंधित हैं। इस क्षेत्र के गांवों में बड़े निर्माण की गतिविधियां जैसे बिल्डिंग कॉम्पलेक्स और टाऊनशिप प्रतिबंधित है। इस रिपोर्ट के बाद केरल से जबरदस्त विरोध हुआ। सरकार और विपक्ष दोनों गठबंधनों के दलों ने कस्तुरी रंगन रिपोर्ट को यह कहकर विरोध कर रही है कि इससे प्राकृतिक क्षेत्र के गांवों का विकास प्रभावित होगा। अगर अन्य राज्य सरकारों का भी यही रवैया रहा तो इस रिपोर्ट को लागू करना संभव नहीं होगा।

स्वदेशी जागरण मंच हमेशा विनाशकारी विकास के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। यह हमेशा पर्यावरणीय सतत विकास का हिमायती रहा है। अतः तिरूवनंतपुरम का यह स्वदेशी जागरण मंच का सम्मेलन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि कस्तुरी रंगन समिति की रिपोर्ट को वापिस लिया जाए ओर माधव गाडगिल की रिपोर्ट को लागू किया जाए ताकि पश्चिमी घाट के पर्यावरण की रक्षा हो सके और इस क्षेत्र का जैव विविधता की रक्षा हो सके जिससे यह क्षेत्र सतत विकास करे और भारतवर्ष क लिए फायदेमंद हो सके। ❑

पारित प्रस्ताव – 4

नीति बदलो - देश बचाओ

पोखरण आण्विक विस्फोटों के बाद लगी वैश्विक पाबंदियों के दुष्प्रभावों पर मात देकर भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2001–02 से ऊंचाईयों की ओर अग्रसर रही और इसने विश्व को आश्चर्य एवं सदमे में डाल दिया। राष्ट्रीय बचत और निवेश बढ़ने लगा। इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर वर्ष 2003–04 में 8 प्रतिशत पर पहुंच गयी। वर्ष 1977–78 के बाद पहली बार वर्ष 2001–02 और 2003–04 के बीच भारत ने चालू खाते में आधिक्य दर्ज किया। 3 वर्षों में यह आधिक्य कुल 22 बिलियन डॉलर रहा। मौटे तौर पर यह लक्ष्य घरेलू बचत, निवेश और खपत के माध्यम से हासिल किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की एकमेव ऐसी उभरती अर्थव्यवस्था रही, जिसने बिना किसी उल्लेखनीय विदेशी निवेश के इतनी ऊंची वृद्धि दर प्राप्त की।

वर्ष 2004–05 से स्थितियां बदल गयीं। अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिकता के नजरिए के स्थान पर दृष्टि बाह्यवर्ती हो गयी। नई सरकार ने छोटी अवधि की स्टॉक मॉर्केट पूंजी की ओर देखना आरंभ कर दिया, क्योंकि वैश्विक तरलता और पूंजी आयात बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। इसने सरकार को अंधा बना दिया और वह अधिकाधिक आयात उदारीकरण के पीछे भागने लगी। इसके दुष्परिणाम 2008–09 के बाद तब सामने आए जब वैश्विक तरलता में शुष्कता आने लगी। **2004–05 से 2012–13 तक के चालू खाते का विश्लेषण दर्शाता है कि 2001–02 – 2003–04 के बीच का 22 बिलियन डॉलर्स का आधिक्यए उसके बाद के 9 वर्षों में 339 बिलियन डॉलर के चालू खाता घाटे में रूपान्तिरित हो गया। चालू खाते का घाटा फोरेक्स रिजर्व को खा गया और जो रूपया अगस्त 2012 में 45 रूपए प्रति डॉलर था, वह अगस्त 2013 में औंधे गिरकर 68 रूपए प्रति डॉलर हो गया।**

सरकार ने इसका दोष तेल मूल्यों और तेल तथा सोने के भारी आयात पर मढ़ना आरंभ कर दिया किन्तु 2004–05 के दौरान किये गए आयात का विश्लेषण दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही है। इन 9 वर्षों में तेल का शुद्ध आयात और स्वर्ण आयात क्रमशः 815 बिलियन और 161 बिलियन डॉलर था किन्तु एक वर्ष पूर्व औसतन 10 बिलियन डॉलर्स की तुलना में इन वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं का आयात 587 बिलियन डॉलर का रहा, जिसने भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग को नष्ट कर दिया। वह 2011–12 में 10 प्रतिशत गिर गया। इसने मेन्युफेक्चेरिंग को 2007–08 के बाद 11 प्रतिशत के स्तर से गिराकर 4.5 प्रतिशत पर ला दिया। पूंजीगत वस्तुओं का आयात शून्य नेट आयात शुल्क की रियायती दर पर किया गया। 9 वर्षों की अवधि में जो कर रियायत दी गई वह 30 लाख थी। इसकी कीमत वर्ष 2007–08 तक 10 लाख करोड़ और 2008–09 से 2012–13 के बीच 20 लाख करोड़ रही। इस कर–रियायत के फलस्वरूप 9 वर्षों में 23 लाख करोड़ का मौद्रिक घाटा हुआ। इसलिए यह आर्थिक विध्वंस की अवधि रही। रूपए के मूल्य में गिरावट से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गयीं और रूपए का मूल्य 45 रूपए प्रति डॉलर से घटकर 62 रूपए प्रति डॉलर हो जाने के कारण तेल का बिल 1,87,000 करोड़ रूपए बढ़ गया। इसका परिणाम भारी मुद्राप्रसार के रूप में हुआ। **अनिवासी भारतीयों ने अपने परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पिछले 9 वर्षों में 337 बिलियन डॉलर्स भारत न भेजे होते तो भारत दिवालिया हो चुका होता। पिछले 9 वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंध का उदाहरण हैं और इसके लिए जनता को चाहिए कि वह यूपीए सरकार को जवाबदेह माने।**

2004–05 से स्थितियां बदल गयीं। अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिकता के नजरिए के स्थान पर दृष्टि बाह्यवर्ती हो गयी। नई सरकार ने छोटी अवधि की स्टॉक मॉर्केट पूंजी की ओर देखना आरंभ कर दिया, क्योंकि वैश्विक तरलता और पूंजी आयात बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। इसने सरकार को अंधा बना दिया और वह अधिकाधिक आयात उदारीकरण के पीछे भागने लगी। इसके दुष्परिणाम 2008–09 के बाद तब सामने आए जब वैश्विक तरलता में शुष्कता आने लगी।

(1) अर्थव्यवस्था के आपराधिक कुप्रबंध के लिये यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि अंधाधुंध कर रियायती आयात की जांच की जाए, जिसने रूपए को ओंधे मुंह गिरा दिया, मुद्रा प्रसार बढ़ाया और अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को बिगाड़ दिया।

(2) आयात के लिए दी गई कर रियायतें वापिस ली जाएं और आयात दरों को 2003–04 के स्तर पर लाया जाए।

(3) वर्तमान सरकार की नीतियां सत्ता में आनेवाली सभी भावी सरकारों के लिए चेतावनी हैं कि वे अंधाधुंध कर रियायतों पर आधारित आयात उदारीकरण अपनाने से बाज आएं, बल्कि वे घरेलू पूंजीगत वस्तुओं के समुचित उत्पादन एवं घरेलू मेन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने की नीतियां अपनाएं।

(4) वर्तमान सरकार की स्टॉक मार्केट और छोटी अवधि के कर्जों के साथ विदेशी पूंजी के माध्यम से अंधाधुंध आयात ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस–नहस कर दिया है तथा स्वदेशी जागरण मंच भावी सरकारों को चेतावनी देता है कि वे इस प्रकार की गैरजिम्मेदाराना आर्थिक नीतियां अपनाने से बाज आएं।

(5) बजट दस्तावेजों में गंवाये गये राजस्व के रूप में वर्णित सभी कर रियायतों की समीक्षा की जाए, राजस्व एवं मौद्रिक घाटों को कम करने के लिए उन्हें वापिस लिया जाए और अधोसंरचना एवं अन्य विकास कार्यों के लिए संसाधनों को जुटाया जाए।

(6) जो भी सरकार सत्ता में आए वह घरेलू बचत, पूंजी निर्माण, मैन्यूफैक्चर के लिए कार्य करे, न कि संवृद्धि के लिए विदेशी पूंजी और विदेशी व्यापार की ओर देखें।

(7) भावी सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी कोष से हो, न कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करनेवाली वोट बैंक तैयार करने की लोकलुभावन योजनाओं में जाए। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

अभिमत

विश्व व्यापार संगठन में चाहिए बड़ा सुधार

डब्ल्यूटीओ की न्यायसंगत भूमिका यह होनी चाहिए कि वह इस तरह के नियम बनाए जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार होने की प्रक्रिया में विभिन्न विवादों को निष्पक्ष ढंग से कम समय में सुलझाया जा सके। दूसरे देशों के पर्यावरण व स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद व्यापार के माध्यम से न भेजे जाएं इसका प्रयास भी यह संगठन कर सकता है।

■ भारत डोगरा

हाल में बाली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का भारत के लिए एक विशेष महत्व था। इस सम्मेलन से पहले कुछ विकसित देश यह कह रहे थे कि खाद्य सुरक्षा कानून की नई व्यवस्था के बाद भारत की खाद्य सब्सिडी इतनी बढ़ जाएगी कि इससे डब्ल्यूटीओ के नियमों की अवहेलना होगी। अतः इन नियमों के अंतर्गत भारत के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कुतर्क का विरोध किया और अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत के इस विचार को मान्यता भी मिली और अब डब्ल्यूटीओ की ओर से हुई अंतरिम व्यवस्था के अनुसार भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ की कार्रवाई नहीं होगी। पर इसके साथ विकसित देशों ने भारत पर दबाव भी बनाया कि वह इन विकसित देशों का व्यापार व आयात सरलीकरण का जो मसौदा है उसे अपना समर्थन प्रदान करे।

इससे पहले भारत के प्रतिनिधि ने इस मसौदे का विरोध करते हुए कहा था कि यह तो मूलतः विकसित देशों के हितों को ही बढ़ाने वाला है, इसमें भारत जैसे देशों के लिए कुछ नहीं है। पर अब भारत को अपना विरोध वापस लेते हुए इसे स्वीकार करना पड़ा है।

इस अनुभव का सबक यह है कि डब्ल्यूटीओ में अधिक व्यापक सुधारों की जरूरत है ताकि इससे विकासशील देशों की घरेलू नीतियों में व्यर्थ की दखलंदाजी न हो व उन्हें ऐसे कोई नियम न स्वीकार करने पड़ें जिनका वहां के लोगों की आजीविका व व्यापक राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो। अपने देश व देशवासियों के हितों की रक्षा करने की विभिन्न देशों की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए। कम से कम लिखित तौर पर तो डब्ल्यूटीओ के नियम यह कहते हैं कि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, यदि यह संभव न हो तो प्रत्येक देश को एक वोट के सिद्धांत पर निर्णय लिए जाएंगे। इसके बावजूद विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सुनियोजित कार्य प्रणाली इतनी कारगार सिद्ध होती है कि वे अधिकांश निर्णय अपने हितों के अनुकूल करवाने में सफल रहते हैं। भारत जैसे महत्वपूर्ण विकासशील देश इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। वे डब्ल्यूटीओ की कार्यपणाली को सही अर्थो में लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने

किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार अपने लोगों के दुख–दर्द और उसके कारणों को जानते–पहचानते और मानते हुए भी बाहरी कारणों या मजबूरियों से इस दुख–दर्द को कम करने के लिए उचित कदम न उठा सके तो इससे लोकतंत्र को भी चोट पहुंचती है, उसका अवमूल्यन होता है।

के लिए एक बड़ा अभियान आरंभ कर सकते हैं। यदि ऐसा बदलाव आ सका तो निर्धन व विकासशील देशों से हो रहे अन्याय को काफी हद तक रोका जा सकेगा। इसके साथ–साथ विकासशील व निर्धन देश इस आधार पर एकजुट हो सकते हैं कि अपने किसानों व मजदूरों की आजीविका, जन–स्वास्थ्य व पर्यावरण को बचाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे अपनी स्वतंत्रता हर हालत में बनाए रखेंगे। इस संप्रभुता से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कई महत्वपूर्ण विकासशील देश एक होकर ऐसी स्पष्ट घोषणा करते हैं व इस पर टिकते हैं तो इससे अमीर देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दादागिरी पर कुछ रोक अवश्य लगेगी और अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा में विकासशील देशों का सामर्थ्य और आत्मविास बढ़ेगा। विभिन्न विकासशील व गरीब देशों को आपसी एकता को और मजबूत व स्थाई आधार देना चाहिए।

उन्हें इस बारे में व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए कि वे विश्व व्यापार को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं और उनकी राय में डब्ल्यूटीओ की उचित और न्यायसंगत भूमिका क्या होनी चाहिए। विदेशी व्यापार का मुख्य औचित्य विभिन्न देशों के भिन्न–भिन्न संसाधन–आधार में है। इस आधार का समुचित लाभ उठाते हुए प्रायः किसी भी देश के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक करना संभव होता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं का उत्पादन उसके लिए संभव नहीं होता है या बहुत महंगा पड़ता है। अतः यह उनके हित में है कि वे कुछ वस्तुओं का निर्यात करें व कुछ का आयात करें। इसी तरह विभिन्न देशों में प्रायः अलग–अलग तरह का कौशल उपलब्ध होता है और इस आधार पर कुछ सेवाओं का निर्यात व कुछ सेवाओं का आयात करना लाभप्रद रहता है। वस्तुओं और सेवाओं के इस तरह के आयात–निर्यात पर आधारित विश्व व्यापार का औचित्य प्रायरू सभी स्वीकार करते हैं।

कुछ समय पहले तक आयात–निर्यात संबंधी निर्णय लेने का अधिकार हर स्वतंत्र देश की सरकार के पास सुरक्षित था, किंतु डब्ल्यूटीओ के दौर में विदेशी व्यापार और विश्व व्यापार का चरित्र बुनियादी तौर पर बदल गया है।

पहले स्थिति यह थी कि कोई भी सरकार व्यापार शुल्क व संख्यात्मक नियंत्रण या प्रतिबंध द्वारा उन आयातों को रोक सकती थी या उनकी मात्रा सीमित कर सकती थी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था व आजीविका के लिए हानिकारक हैं पर अब किसी देश की, विशेषकर विकासशील देश की सरकार का यह अधिकार बहुत सीमित कर दिया गया है। अब विकासशील देशों में ऐसी स्थिति बन रही है कि उनके आयात उनकी अपनी जरूरतों से या उनकी सरकार की नीतियों से उतने निर्धारित नहीं होंगे जितने डब्ल्यूटीओ के नियमों से हो रहे हैं। यह एक कष्टदायक स्थिति है क्योंकि इससे किसी देश के किसानों, उद्योगों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों व मजदूरों आदि पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अपने लोगों का दुख–दर्द कम करने में उनकी सरकार स्वयं सक्षम नहीं रह जाती क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नियम उसकी इच्छाओं से भी ऊपर माने जाते हैं। इस तरह जिस आधार पर विदेशी व्यापार का मूल औचित्य टिका रहा है, वह डब्ल्यूटीओ के दौर में गड़बड़ा गया है। जब किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार अपने लोगों के दुख–दर्द और उसके कारणों को जानते–पहचानते और मानते हुए भी बाहरी कारणों या मजबूरियों से इस दुख–दर्द को कम करने के लिए उचित कदम न उठा सके तो इससे लोकतंत्र को भी चोट पहुंचती है, उसका अवमूल्यन होता है।

अतः न्यायसंगत यही होगा कि विदेशी व्यापार व विश्व व्यापार को अपने मूल औचित्य की ओर लौटा दिया जाए। इस स्थिति में विभिन्न देश अपने वस्तुओं और सेवाओं के आयात–निर्यात को निर्धारित करने में संप्रभुता–संपन्न बने रहेंगे। हाल के समय में विश्व व्यापार के लिए नियम बनाने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि बहुत से घरेलू नीतियों से संबंधित मुद्दों को भी जबरदस्ती व्यापार से जोड़ दिया गया। ऐसा विकसित देशों ने इस कारण किया ताकि वे डब्ल्यूटीओ के मंच से ही विकासशील देशों की अनेक घरेलू नीतियों में भी परिवर्तन करवा सके। व्यापार संबंधी मुद्दों और घरेलू मुद्दों को अलग रखना चाहिए। विश्व व्यापार के नियम बनाने के कार्य का समन्वय जो संगठन करे, वह व्यापार तक ही अपने की सीमित रखे और घरेलू मुद्दों में दखल न दे। डब्ल्यूटीओ की न्यायसंगत भूमिका यह होनी चाहिए कि वह इस तरह के नियम बनाए जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार होने की प्रक्रिया में विभिन्न विवादों को निष्पक्ष ढंग से कम समय में सुलझाया जा सके। दूसरे देशों के पर्यावरण व स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद व्यापार के माध्यम से न भेजे जाएं इसका प्रयास भी यह संगठन कर सकता है। ❑

अन्नदाता ने अर्थव्यवस्था को दी संजीवनी

सामान्य रूप से माना जाता है कि खेती छोड़ने वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़कर उसकी श्रमशक्ति बनें होंगे, लेकिन उस दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी 57 लाख रोजगार कम हुए। नए भूमि अधिग्रहण कानून से छोटी जोत वाले बड़ी संख्या में किसानों को अपना पेशा छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें शहरों में जाकर छोटे–मोटे काम धंधों पर आश्रित होना पड़ सकता है। इस स्थिति में कृषि भी देश में सबसे बड़ी नियोक्ता होने की अपनी पदवी को बरकरार नहीं रख पाएगी।

■ **देविन्दर शर्मा**

उम्मीद से बेहतर मानसून और जबरदस्त खाद्यान्न उत्पादन करके कृषि बीते 2013 साल की अर्थव्यवस्था की तारणहार रही। एक तरफ जहां औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र समय के साथ नहीं चल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वित्तीय घाटा आसमान छूने को उतावला है, चालू खाता घाटा की स्थिति चिंताजनक है, ऐसे में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां पर उम्मीद की कुछ किरणें दिखाई दीं।

गेहूं और चावल का 823 लाख टन का खाद्यान्न भंडार अब तक सर्वाधिक रहा है। अनाज निर्यात में 200 टन की वृद्धि दिखी है। चावल के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में देश को पहचान मिली। कृषि निर्यात में गुणात्मक बढ़ोतरी दिखी। मुख्य रूप से मांस के निर्यात के चलते देश का कृषि निर्यात 2010–11 के 12 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2012–13 में 20 हजार करोड़ रुपये पर पहुंचा।

बासमती निर्यात में भी वृद्धि हुई और किसानों को अच्छी कीमत का सुखद अहसास भी हुआ। लेकिन यहीं पर चमक खत्म होती दिखी और देश के 60 करोड़ किसानों के लिए 2013 भी किसी अन्य साल की तरह ही रहा। हमेशा की तरह जैसे ही नए साल की तैयारियों की शुरुआत होती है, अन्नदाता के लिए अच्छा साल रहने की उम्मीदें शुरू हो जाती हैं, लेकिन साल दर साल उनकी हालत और पतली होती जाती है। कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ और आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न होने के संकेत के बावजूद 2013 अप्रत्याशित रूप से खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का गवाह रहा। महंगाई को लेकर भड़की जनाकांक्षाओं को शांत करने के सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए। हाल ही में विधानसभा चुनावों में सत्तारुढ़ पार्टी की हार के रूप में इसका प्रकटीकरण दिखा।

वास्तव में महंगाई की दोहरी मार पड़ती है। 203.6 अरब डालर के भारी व्यापार घाटे और बढ़ते वित्तीय घाटे के चलते सरकार को रोजगार कार्यक्रमों के साथ–साथ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि निवेश कार्यक्रमों पर कैंची चलानी पड़ी। बढ़ती बेरोजगारी और सब्सिडी में कटौती की नीति से गरीबों की संख्या में इजाफा हुआ। देश के 83 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किग्रा अनाज मुहैया कराने वाले खाद्य सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली कीमतों पर लगाम लगाना था।

कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ और आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न होने के संकेत के बावजूद वर्ष 2013 अप्रत्याशित रूप से खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का गवाह रहा। महंगाई को लेकर भड़की जनाकांक्षाओं को शांत करने के सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए। हाल ही में विधानसभा चुनावों में सत्तारुढ़ पार्टी की हार के रूप में इसका प्रकटीकरण दिखा।

हालांकि इसका कमजोर पहलू यह है कि कृषि में बिना पर्याप्त निवेश किए इस तरह की कानूनी आर्हता यह दिखाती है कि अन्नदाता को भूखे पेट सोने के लिए विवश होना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा की जरूरतें आयात से पूरी करने और उद्योगों, रीयल एस्टेट के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रमुखता देने से देश की पूरी आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा।

वर्ष 2005 और 2010 के दौरान जब जीडीपी 8–9 फीसद की दर से सरपट दौड़ रही थी तो 1.4 करोड़ लोग कृषि से दर बदर हुए थे। सामान्य रूप से माना जाता है कि खेती छोड़ने वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़कर उसकी श्रमशक्ति बनें होंगे, लेकिन उस दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी 57 लाख रोजगार कम हुए। नए भूमि अधिग्रहण कानून से छोटी जोत वाले बड़ी संख्या में किसानों को अपना पेशा छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें शहरों में जाकर छोटे–मोटे काम धंधों पर आश्रित होना पड़ सकता है। इस स्थिति में कृषि भी देश में सबसे बड़ी नियोक्ता होने की अपनी पदवी को बरकरार नहीं रख पाएगी। ❑

भ्रष्टाचार के कंधे पर सवार महंगाई

अब वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचार और महंगाई के संबंधों पर सार्थक चर्चा हो। महंगाई पर रिजर्व बैंक तो चिंतन करे ही, पर राजनेता व एक्टिविस्ट लोग भी चिंतन करें कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश महंगाई पर अंकुश साबित हो सकता है। महंगाई कम की जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी– ऐसे सरकारी आश्वासन एकाध बार नहीं, दसियों बार निरर्थक साबित हुए हैं।

■ आलोक पुराणिक

हाल के चुनावों में भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा महंगाई बनी। 'आप' नाम का राजनीतिक दल बहुत सफलता से वोट इसलिए हासिल कर सका कि इसने महंगाई और भ्रष्टाचार के संबंध को पब्लिक के सामने कुछ इस तरह से पेश किया कि यह जनता की समझ में आ गया अब वक्त आ गया है कि भ्रष्टाचार और महंगाई के संबंधों पर सार्थक चर्चा हो।

महंगाई पर रिजर्व बैंक तो चिंतन करे ही, पर राजनेता व एक्टिविस्ट लोग भी चिंतन करें कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश महंगाई पर अंकुश साबित हो सकता है।

नवम्बर, 2013 के महंगाई के अस्थाई आंकड़ों ने महंगाई के खौफ को स्थाई करने का काम ही किया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि उपभोक्ता आधार पर यानी रिटेल के बाजार में, जहां से उपभोक्ता को आखिर में आइटम खरीदने पड़ते हैं, महंगाई विकट है। नवम्बर के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में एक साल में 61.60 प्रतिशत यानी करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बाजार से नियमित खरीदारी करने वाले तो बिना सरकारी आंकड़ों के बता सकते हैं कि सब्जी बाजार में बढ़ोतरी 62 प्रतिशत से भी ज्यादा भयावह है। जिनका ताल्लुक सब्जी खरीदने से रहा है, और जो बाजार में खरीदारी के लिए जाते हैं, वे बता सकते हैं कि तमाम दुकानों पर संभावित ग्राहक भाव पूछकर ही निकल जाते हैं, ग्राहक संभावित ही रह जाते हैं, ग्राहक बन नहीं पाते हैं।

आलू–प्याज के भाव जिस कदर डरायमान हो गए थे, उसका एक अंदाज अब सरकारी आंकड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है। अक्टूबर, 2013 से नवम्बर, 2013 के बीच ही सब्जियों के भाव में करीब 9.29 प्रतिशत का इजाफा हो गया। एक महीने में दस प्रतिशत का इजाफा, ऐसी बढ़ोतरी तो कुशल से कुशल कर्मी की सैलरी–मजदूरी में भी नहीं होती। जिस स्पीड से सब्जियां उड़ी हैं, उस स्पीड ने उपभोक्ताओं को चौंकाया है और उसने तमाम राजनीतिक कुर्सियां भी उलट–पलट दी हैं।

वर्ष 2013 नवम्बर के अस्थाई आंकड़ों को देखें तो साफ होता है कि अंडे, मछली और मांस के भाव एक साल में 11. 96 प्रतिशत बढ़े हैं। हालांकि शाकाहारियों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ी हैं। आलू मछली के भाव बिकने पर आमादा हो जाए तो खाने के विकल्प नहीं, रोने के विकल्प बचते हैं। नवम्बर, 2013 में फलों की कीमतों में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालत बहुत खराब है। सरकार ने अब वादा करना भी छोड़ दिया है कि महंगाई कम कब होगी। पर रिजर्व बैंक की दिक्कतें बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक का स्टैंड रहा है कि अगर महंगाई कम होगी तो ब्याज दरों में कमी करने वाले कदम उठाए जाएंगे। पर महंगाई कम नहीं हो रही है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी पर विचार नहीं कर सकता।

रिजर्व बैंक ब्याज में कमी नहीं करेगा, तो कार, बाइक खरीदने वालों के कर्ज की ईएमआई कम होने के आसार नहीं हैं, यानी आटोमोबाइल उद्योग की हालत सुधरने के आसार नहीं बनेंगे। हाउसिंग सेक्टर की बेहतरी के आसार नहीं बनेंगे। महंगाई यूं कभी भी सिर्फ रिजर्व बैंक की चिंता का विषय नहीं रही, यह राजनीतिज्ञों की चिंता का विषय भी रही है। पर हाल के चुनावों ने बता दिया है कि महंगाई पर प्रतिक्रिया जनता इस तरह से कर सकती है कि सत्ता में जमी–जमाई कुर्सियां विकट तरीके से उखड़ जाएं। और भी चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि जिन वोटों को वोट बैंकों के नाम पर, किसी जाति–समुदाय के नाम पर राजनीतिक दल अपना माने बैठे थे, वे वोट महंगाई की हवा में ऐसे उड़े कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया।

हाल के चुनावों में भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा महंगाई बनी। 'आप' नाम का राजनीतिक दल बहुत सफलता से वोट इसलिए हासिल कर सका कि इसने महंगाई और भ्रष्टाचार के संबंध को पब्लिक के सामने कुछ इस तरह से पेश किया कि यह जनता की समझ में आ

गया। मसलन, दिल्ली में बिजली महंगी क्यों? क्योंकि बिजली कंपनियां भ्रष्ट हैं, ज्यादा कमाना चाहती हैं और भ्रष्ट राजनेता बिजली कंपनियों पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। महंगाई की अपनी ये थ्योरी अरविंद केजरीवाल पब्लिक को समझाने में कामयाब रहे। परिणाम सबने देखे।

महंगाई कम की जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी– ऐसे सरकारी आश्वासन एकाध बार नहीं, दसियों बार निरर्थक साबित हुए हैं। बाजार में भाव आश्वासनों से तय नहीं होते, उनका अपना अर्थशास्त्र, अपनी राजनीति होती है। महंगाई की मार से बचाने वाली बेहतरीन से बेहतरीन स्कीम भी व्यर्थ साबित हो सकती है।

केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना पेश की, इसमें बहुत ही सस्ते भावों पर खाद्यान्न उपलब्धता की आश्वस्ति की गई थी। सरकार के बहुत से नेता मान रहे थे कि यह स्कीम चुनावी दृष्टिकोण से बहुत सफल साबित होगी। इस स्कीम का विज्ञापन भी धुआंधार किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के परिणाम बताते हैं कि वोटरों ने, जनता ने इस स्कीम पर भरोसा नहीं किया। यह स्कीम मोटे तौर पर महंगाई से मुकाबला करने के लिए गरीबों को सशक्त करने का वादा करती है, पर गरीबों को बहुत पहले से पता है कि स्कीम चाहे जो भी बना लो, लोकल स्तर पर उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना ही है।

पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम यानी राशन की दुकान भी गरीब जनता को महंगाई से बचाने की स्कीम ही है। पर इस स्कीम पर हुए शोध साफ करते हैं कि इस स्कीम के पचास फीसद से ज्यादा सस्ते खाद्यान्न कभी उन तक नहीं पहुंचते, जिन तक उन्हें पहुंचना चाहिए। भ्रष्टाचार इस स्कीम को कारोबारियों के लिए पेश कर देता है।

पूरे देश में राजनीतिक संरक्षण में राशन की दुकान का भ्रष्टाचार फलता–फूलता है। स्कीम महंगाई को हटाने की भले ही आ जाए, पर भ्रष्टाचार उसके रास्ते से आम आदमी को ही हटा देता है। और ये बात स्थापित राजनीतिक दलों को पता नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। छोटे, मंझोले राजनीतिक सहयोगियों को राशन की दुकान से नवाजा जाता रहा है। छुटभैए राशन की दुकानों के मालिक–संचालक होते रहे हैं। थोड़े ज्यादा संपन्न राजनीतिक सहयोगियों को पेट्रोल पंपों से नवाजा जाता है। और भी बड़े राजनीतिक सहयोगियों के लिए तमाम तरह की खदानें, परमिट, लाइसेंस होते हैं। राशन की दुकान लघु स्तरीय भ्रष्टाचार योजना है, जो गरीबों के लिए महंगाई कम नहीं करती, यह भ्रष्टाचारियों की संपन्नता में बढ़ोतरी करती है। इसी तंत्र के जरिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू होनी है, तो वह भी यही करने वाली है, कुछ अलग नहीं। महंगाई की मार कम करने वाले तंत्र का भ्रष्टाचार कम करना आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी राशन की दुकान के भ्रष्टाचार को ही दूर करने में समर्थ हो पाती है, तो वह बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता अर्जित कर सकेगी।

हर तबके पर महंगाई का एक–सा असर नहीं पड़ता है। महंगाई गरीब पर सबसे ज्यादा चोट करती है। इसलिए उसे महंगाई से बचाए जाने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। रिक्शेवाले का मेहनताना महंगाई से, महंगाई भत्ते से जुड़ा नहीं होता है। सरकारी सेवारत बंदे का मेहनताना महंगाई भत्ते से जुड़ा होता है। और वोटरों में से अधिकांश ऐसे ही हैं, जिन्हे महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता है। इन्हें अगर साफ–सुथरी राशन व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से सस्ता अनाज मुहैय्या कराया जा सके, तो उसका राजनीतिक लाभांश कोई भी राजनीतिक पार्टी ले सकती है।

छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने राशन व्यवस्था को दुरुस्त–बेहतर किया है, उसके राजनीतिक लाभांश उनकी सरकार को मिले हैं। राशन की दुकान से भ्रष्टाचार दूर करना आसान काम नहीं है। गहरे राजनीतिक हित इसमें जुड़े हुए होते हैं। पर जो इन हितों पर चोट करके आम आदमी के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा, वह नई राजनीति में खुद को स्थापित कर लेगा ऐसा हाल के चुनाव बता रहे हैं। महंगाई को भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर जनता के सामने पेश करने का सफल प्रयोग तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर चुके हैं। राशन की दुकान को वह अगर अपने एजेंडा में लें, तो शायद उनके लिए परिणाम शुभ हो सकते हैं और आम जनता को भी एक हद तक महंगाई से छुटकारा मिल सकता है। यह काम आसान तो नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। आसान काम करने के लिए उतनी शानदार सफलता किसी को नहीं मिलती, जितनी 'आप' पार्टी को हाल के चुनावों में मिली है। तमाम पार्टियों को उनकी सफलता से सबक सीखना चाहिए। अगर सबक उन्होंने नहीं सीखे, तो जनता खुद ही सीधे अपने वोटों से सिखा देगी।❑

आम आदमी पार्टी : बाहरी प्रभावों पर दृष्टि आवश्यक

नब्बे के दशक में चली इस गुलाबी लहर से 1998 में वेनेजुला और 2002 में ब्राजील सहित उत्तरवर्ती अवधि में एक दर्जन देशों में बनी वामपंथी सरकारों की सफलता के प्रयोग से प्रेरणा पाकर वामपंथियों ने सिविल सोसायटी के लोक लुभावन आन्दोलनों और सिविल सोसायटी के वैश्विक गठजोड़, वर्ल्ड सोशल फोरम के माध्यम से यूरोप अमरीका, अफ्रीका व एशिया सहित अरब जगत में नव वामपंथ की गुलाबी लहर को सबल बनाने में भी अपनी शक्ति लगायी हुयी है. . .

■ डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा

भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक लोक लुभावन आन्दोलन से युवा महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में उभरी 'आम आदमी पार्टी' के कुछ नेताओं के पीछे सक्रिय विदेशी प्रभावों पर भी एक दृष्टिपात आज आवश्यक है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में 'इण्डिया अगेंस्ट करप्शन' द्वारा चलाये आन्दोलन के दौरान देश तब एक दम सन्न रह गया था, जब यह रहस्योद्घाटन हुआ कि 'इण्डिया अगेंस्ट करप्शन' की केन्द्रीय समिति के दो प्रमुख सदस्य, अरविन्द केजरीवाल व मनीष सिसोदिया न्यूयार्क स्थित फोर्ड फाऊण्डेशन के पैसे से भारत में स्वैच्छिक संगठन चला रहे हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इसी केन्द्रीय समिति के दो सदस्य अरविन्द केजरीवाल व किरण बेदी को उसी फोर्ड फाऊण्डेशन द्वारा प्रायोजित रमन मेग्सेसे पुरस्कार से भी विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त हुयी।

'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' की कोर कमेटी के सदस्यों को विदेशी धन मिलने के आरोप की प्रतिक्रिया में अरविन्द केजडीवाल ने तब इंडिया फर्स्ट को भेजे अपने एस.एम.एस. में कोई टिप्पणी न कर, यह प्रश्न किया कि इसका क्या प्रमाण है? इस पर एक बार तो देश ने सन्तोष की साँस ली कि, संभवतः देश में आन्दोलन धर्मी संगठनों के अभियान कम से कम, विदेशों से प्रायोजित तो नहीं हैं। लेकिन, इसके प्रमाण सामने आते ही स्वयं केजरीवाल ने अगस्त 2011 में ही स्वीकार कर लिया कि मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर उनके द्वारा चलाये जा रहे एन.जी.ओ. कबीर को न्यूयॉर्क आधारित फोर्ड–फाउण्डेशन से धन मिला है, लेकिन, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह धन उन्हें दो वर्ष पूर्व मिला था। फोर्ड

फाउण्डेशन के भारत स्थित कार्यालय के प्रभारी, स्टीवेन स्लोनिक ने भी स्वीकार किया कि फोर्ड फाऊण्डेशन ने केजरीवाल के एन.जी.ओ. कबीर को प्रथम बार 2005 में 1,72,000 डॉलर व दूसरी बार 2008 में 1,97,000 अमरिकी डॉलर स्वीकृत किये गये थे। उन्होने इसकी अन्तिम किश्त 2010 में दी गयी बतलायी और यह भी बतलाया कि 2011 में भी फाउण्डेशन ने एन.जी.ओ. कबीर को सहायता स्वीकृत की थी पर एन.जी.ओ. कबीर ने सहायता की आवश्यकता नहीं होने की बात कही थी। स्लोनिक ने यह भी कहा कि 2005 से दी जा रही यह सहायता उनके एन.जी.ओ. को सूचना के अधिकार हेतु अभियान चलाने के लिये दी गयी थी।

स्मरण रहे वर्ष 2006 में ही फोर्ड फाउण्डेशन प्रायोजित रमन मेग्सेसे से पुरस्कार भी केजरीवाल को सम्मानित किया। प्रश्न यह उठता है कि देश में उन्होने भष्ट्राचार रोधी आन्दोलन को चाहे प्रायोजित नहीं किया, लेकिन, सूचना के अधिकार सम्बन्धी अभियान के प्रायोजन में फाउण्डेशन की क्या प्रेरणा रही है?

फोर्ड फाऊण्डेशन भारत में वर्ष 1952 से कार्यरत है। प्रारम्भिक काल में यह योजना आयोग के साथ मिलकर कार्य करता था। देश में रासायनिक कृषि को बढ़ावा देकर हरित क्रान्ति में फाऊण्डेशन सक्रिय था। लेकिन, 1972 से फाऊण्डेशन

ने देश में अपने सहायता कार्यक्रमों में आन्दोलन धर्मी संगठनों के विशिष्ट अभियानों के लिये अर्थात एन.जी.ओ. श्रेणी के संगठनों को प्राथमिकता देना प्रारम्भ कर दिया। स्थापना से अब तक **फार्ड फाउण्डेशन 3500 अनुदानों के रूप में 1250 संस्थाओं को 50.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर (आज की विनिमय दर पर 3150 करोड रूपये तुल्य) राशि बाँट चुका है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि देश में किन्ही विशिष्ट आन्दोलनों या अभियानों के प्रायोजन के पीछे फॉर्ड फाऊण्डेशन हेतु क्या रहता है। यह भी स्मरणीय है कि सिविल सोसायटी आन्दोलन द्वारा स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम को भी फोर्ड फाउण्डेशन, आर्थिक सहायता देता रहा है। वामपंथी सिविल सोसायटी संगठनों व वर्ल्ड सोशल फॉरम वस्तुतः वैश्विक नव वामपंथ की गुलाबी लहर के प्रणेता कहे जा सकते हैं।**

सिविल सोसाइटी व वर्ल्ड सोशल फॉरम से वैश्विक नव वामपंथ का उदय

अस्सी के दशक में ब्राजील से प्रारंभ हुये सिविल सोसायटी संगठनों के लोक–लुभावन आन्दोलनों के पूरे लेटिन अमरीका में फैल जाने के फलस्वरूप, विगत दशक में एक दर्जन लेटिन अमरीकी देशों के 17 चुनावों में वामपंथी सरकारों के लिये सता में आना सम्भव हुआ है। अन्य लेटिन अमरीकी देशों में भी क्रान्तिधर्मी कम्यूनिस्ट दलों से भिन्न ''नव वामपंथी सिविल सोसायटी संगठनों'' के ऐसे ही लोक–लुभावन आन्दोलनों के माध्यम से वामपंथियों को समाज जीवन की मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है। इसके फलस्वरूप आज दो तिहाई लेटिन अमरीकी देशों में एक नव वामपंथ की लहर चल पड़ी है, जिसे सामयिक समालोचक गुलाबी लहर (Pink Tide) कह रहे हैं। नब्बे के दशक में चली इस गुलाबी लहर से 1998 में वेनेजुला और 2002 में ब्राजील सहित उत्तरवर्ती अवधि में एक दर्जन देशों में बनी वामपंथी सरकारों की सफलता के प्रयोग से प्रेरणा पाकर वामपंथियों ने सिविल सोसायटी के लोक लुभावन आन्दोलनों और सिविल सोसायटी के वैश्विक गठजोड़, वर्ल्ड सोशल फोरम के माध्यम से यूरोप अमरीका, अफ्रीका व एशिया सहित अरब जगत में नव वामपंथ की गुलाबी लहर को सबल बनाने में भी अपनी शक्ति लगायी हुयी है।

भारत में सिविल सोसायटी के एकीकरण का दौर

विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी नव वामपंथ के घटक अनेक सिविल सोसायटी आन्दोलन देश में कई लोक लुभावन या अल्पसंख्यक वाद के अभियान विगत 20–25 वर्षों से चला रहे हैं। यथा बाबरी ढांचे के ध्वस्त होने के समय कई सिविल सोसायटी संगठनों के गठजोड़ से बने अकेले ''नेशनल एलायन्स ऑफ पीपुल्स मूवमेण्ट'' (NAPM) जैसे एक सिविल सोसायटी समूह/आन्दोलन में, मेधा पाटकर के 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' जैसे लगभग 150 सिविल सोसायटी संगठन एकजुट हुये हैं व सिविल सोसायटी आन्दोलन के रूप मे सक्रिय हैं और NAPM आज 15 राज्यों में सक्रिय है। इसी प्रकार मूल निवासी वाद, एचआईवी–एड्स, अल्पसंख्यक सुरक्षा, सूचना के अधिकार, भूमि अधिग्रहण, साम्प्रदायिकता आदि अनगिनत मुद्दों पर अनेक आन्दोलन व उनके असंख्य संघटक सिविल सोसायटी संगठन विगत दो दशकों से सक्रिय हैं। देश मे लक्षित साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक जो अत्यन्त विवादित रहा है, के प्रति भी कुछ सिविल सोसायटी संगठन विशेष सक्रियता दिखाते रहे हैं। पोखरण के 1998 के विस्फोटों एवं देश का परमाणविक कार्यक्रमों से भी सिविल सोसायटी के मतभेद स्पष्ट रहे हैं। सिविल सोसाइटी की पहल पर देश में चले भ्रष्टाचार–रोधी आन्दोलन में लगभग पूरा देश एकजुट हो गया था लेकिन सक्रिय दलीय राजनीति मे प्रवेश के मुद्दे पर अन्ना हजारे सहित अधिकांश समूह, राजनीति में सक्रिय सिविल सोसायटी के धड़ों से अलग हो गये हैं।

वर्ल्ड सोशल फोरम का विकास व नव वामपंथ

ब्राजील की 'लेबर पार्टी' के नेतृत्व में ब्राजील के ही पोर्टो एलेग्रे की तत्कालीन लेबर पार्टी की स्थानीय सरकार की पहल पर 2001 में विश्व की राष्ट्रीय भू राजनीतिक सीमाओं से परे विश्व भर के पूंजीवाद विरोधी एवं मुक्त चिन्तन के पक्षधर, वामपंथी विचारधारा वाले सिविल सोसायटी संगठनों को, वर्ल्ड सोशल फोरम के माध्यम से एक मंच पर लाने का प्रयत्न आरम्भ हुआ था। पोर्टो एलेग्रे में 2001 में 25–30 जनवरी 2001 को हुये वर्ल्ड सोशल फोरम के पहले सम्मेलन में 60 देशों से 12,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया व 2002 में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक हुये दूसरे सम्मेलन में 123 देशों से 60,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जहाँ 652 कार्यशालाएँ व 27 बड़े व्याख्यान हुये थे। तीसरा सम्मेलन भी पोर्टो एलेग्रे में ही जनवरी 2003 में सम्पन्न हुआ। इसमें हुयी अनेक कार्यशालाओं के साथ–साथ "Life after capitalism" पर हुयी कार्यशाला प्रमुख थी, जिसमें गैर पूंजीवादी व गैर–कम्यूनिस्ट (वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की अधिनायकता, एक दलीय कम्यूनिस्ट शासन व हिंसक क्रान्ति की कम्यूनिस्ट विचारधारा से वर्ल्ड सोशल फोरम कथित रूप से अपने आपको अलग रखते हुये स्वयं को लोकतन्त्र व खुले संवाद का

पक्षधर बतला कर गैर कम्युनिस्ट वामपंथी विकल्प की बात करता है)। इस सम्मेलन का दूसरा प्रमुख आकर्शण अन्तर्राष्ट्रीय वामपंथी विचारक नोम चोम्स्की का मुख्य भाषण था। इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख उपलब्धि इसके आहवान पर ''ग्लोबल डे ऑफ एक्शन'' पर हुयी व्यापक वैश्विक जन भागीदारी थी, जिसमें विश्व के 60 देशों के 700 शहरों में एक साथ 1 करोड़ 20 लाख लोगों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक वैश्विक शक्ति प्रदर्शन था। वर्ल्ड सोशल फोरम की तीन वर्ष मे ही यह एक बड़ी उपलब्धि थी।

वर्ल्ड सोशल फोरम का, **मुम्बई में जनवरी 16–21, 2004 में हुआ चौथा सम्मेलन, ब्राजील के बाहर व भारत में पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन के ठीक पूर्व नवम्बर में हुए एशियन सोशल फोरम ने इसको सफल बनाने में भारी योगदान दिया था। इस चतुर्थ वर्ल्ड सोशल फोरम में 90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वर्ल्ड सोशल फोरम प्रवर्तित ''वैश्विक नव वामपंथ'' कहने को तो कट्टर कम्युनिस्ट दलों से परहेज रखता है, तथापि इसे सफल बनाने के लिये यूरोप व एशिया के 18 कट्टर पूंजीवाद विरोधी वामपंथी दलों ने 5 दिसम्बर 2003 को एक संयुक्त आह्वान किया था।** विलम्ब से किये इस कट्टर वामपंथियों के आह्वान के परिणामस्वरूप भी इसमें अच्छी भागीदारी रही जिनमें कुछ प्रमुख वामपंथी धड़े भी उपस्थित थे।

मुम्बई में आयोजित इस वर्ल्ड सोशल फोरम के सम्मेलन में 90,000 प्रतिभागी सम्मिलित हुये थे जिनमें 111 देशों के 15,000 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी सम्मिलित हुये थे। इसमें अरून्धती रॉय, मेधा पाटकर, जैसे धुर हिन्दुत्व विरोधी लोगों के अतिरिक्त असमा जहाँगीर, समीर अमीन जैसे वामपंथी विचारकों के भी अहम भाषण हुये थे। इनमें अर्जेण्टाइना की मदर्स ऑफ प्लाजा डी मायो की नोरा कोण्टिनास, राधिका कुमारस्वामी आदि के अनेकानेक भाषण उल्लेखनीय रहे थे। सम्मेलन में जनवरी 19, 2004 को हुये अरून्धति रॉय के मुख्य भाषण में उन्होंने भारतीय सेना की कश्मीर में भूमिका की आलोचना, पोटा का विरोध एवं गुजरात को लेकर भी उन्होंने गोधरा के बाद की घटनाओं पर पुलिस की आलोचना अतिरंजित मिथ्या आरोपों से खूब तालियाँ व अन्तर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों का आकर्षण बटोरा।

भारत में वर्ल्ड सोशल फोरम में व्यापक जन भागीदारी जुटाने में हैदराबाद में हुये जनवरी 2–7, 2003 के एशियन सोशल फोरम की भी महत्ती भूमिका थी, जिसमें 22,000 की भागीदारी हुयी। इनमें 42 देशों के 780 संगठनों के 860 विदेशी प्रतिभागी भी पंजीकृत हुये थे। एशियन सोशल फोरम के तत्काल बाद, फरवरी 14–16, 2004 को ''वर्ल्ड सोशल फोरम भारत'' की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुयी, जिसमें वर्ल्ड सोशल फोरम की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी कि अगला सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाये। वर्ल्ड सोशल फोरम–भारत की अगली बैठक तब स्थान निर्धारण हेतु नागपुर में मार्च 21–22, 2004 को हुयी, जिसमें 2004 का वर्ल्ड सोशल फोरम मुम्बई में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु एक त्रिस्तरीय रचना खड़ी की – (1) इण्डिया जनरल काऊन्सिल, (2) इण्डिया वर्किंग कमिटी व (3) इण्डिया आर्गेनाजजिंग कमिटी और साथ ही 8 कार्य दल भी बनाये गये। सभी प्रमुख प्रदेशों के प्रादेशिक व प्रमुख विषयों के लिये विषय वार अनेक यथा, महिला, दलित, मूल निवास, कृषि श्रमिक, युवा सोशल फोरम भी गठित किये गये। अन्तरंग क्षेत्रों में आन्दोलन को सबल बनाने व देश भर में छोटे–बड़े सभी स्थानों से जन भागीदारी जुटाने व व्यापक संगठन रचना खड़ी करने हेतु देश भर में अनेक जत्थों के आयोजन कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, मूल निवासी, अल्पसंख्यकवाद आदि पर हजारों छोटी–बड़ी सभाएँ कर भीड़ जुटाने व सिविल सोसायटी संगठन खड़े करने के पूरे प्रयत्न किये गये थे। पोखरण के परमाणु विस्फोटों की भी खूब आलोचना 2003 के एशियन सोशल फोरम में की गयी थी।

वर्ल्ड सोशल फोरम का पाँचवा सम्मेलन 2005 में पोर्टो एलेग्रे (ब्राजील) में 26–31 जनवरी को हुआ। इसमें 1,55,000 प्रतिभागी पंजीकृत हुये। सम्मेलन के अन्त में जिन 19 प्रमुख आन्दोलन प्रमुखों की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ उनमें मार्क्सवादी विचारक समीर अमीन भी एक थे। वर्ल्ड सोशल फोरम का छठा बहु केन्द्रीय सम्मेलन 2006 में तीन स्थानों, कारकास–वेनेजुला (जनवरी 2006) बामाको–माली (जनवरी 2006) व कराची–पाकिस्तान (मार्च 2006) में सम्पन्न हुआ। सातवाँ सम्मेलन जनवरी 2007 में केन्या में नैरोबी में हुआ। इसमे 110 देशों के 1400 सिविल सोसाइटी आन्दोलनों एवं 66,000 लोगों ने भाग लिया। आठवाँ सम्मेलन जनवरी 26 के आस पास ग्लोबल कॉल फोर एक्शन के रूप में विश्व के 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक स्थानों पर समानान्तर सम्मेलनों के रूप में हुआ।

नवाँ वर्ल्ड सोशल फोरम, जनवरी 27 से फरवरी 1, 2009 को बेलेम (ब्राजील) में हुआ, जहाँ भारत सहित कई देशों में मूल निवासी आन्दोलन के प्रवर्तक 190 समूहों ने भी भाग लिया था। दसवाँ विकेन्द्रित वर्ल्ड सोशल फोरम 2010 में 35 राष्ट्रीय,

क्षेत्रीय व स्थानीय वर्ल्ड सोशल फोरम के रूप में सम्पन्न हुआ। इसमें पोर्टो एलेग्रे में हुयी सेमीनार में, वामपंथ के विस्तार की आगामी 10 वर्ष की वैश्विक रूपरेखा तैयार की जिसमें वि व के 70 ख्यातनाम विद्वानों के भाषण हुए। अन्य 35 क्षेत्रीय वर्ल्ड सोशल फोरम भी अत्यन्त विशाल थे यथा मिचीगन मे डेट्राइट में हुये यू.एस. सोशल फोरम में 18,000 प्रतिभागी थे। ग्यारहवाँ वर्ल्ड सोशल फोरम सेनेगल की राजधानी डाकार में फरवरी 6–11, 2011 को हुआ। इसमें 132 देशों के 75,000 लोगों ने भाग लिया जहाँ 1200 कार्यक्रम सम्पन्न हुये। डाकार में चीन की सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रचार पाण्डाल भी लगा था, जबकि वर्ल्ड सोशल फोरम स्वयं को ''गैर कम्युनिस्ट वामपंथ'' कहता है। दूसरी ओर यहाँ यूएस–एड का पाण्डाल भी था जो अन्य बातों के साथ–साथ मिशनरी सिविल सोसाइटी संगठनों को भी बड़ी मात्रा में सहयोग करता है। वर्ष 2001 से 2005 के बीच यूएस–एड (USAID) द्वारा विश्व भर में पांथिक संगठनों, जिनमें अधिकांश ईसाई मिशनरी संगठन हैं, को 1.7 अरब डॉलर (आज की विनिमय दर पर रू. 10,540 करोड़ तुल्य) की राशि का वितरण किया है। इसमें सर्वाधिक राशि 63.82 करोड़ डॉलर (आज की विनिमय दर पर रू. 4000 करोड़ तुल्य) की राशि तो केवल 'कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज' को ही दी गयी है। वर्ल्ड सोशल फोरम का बारहवाँ सम्मेलन अरब जगत में ट्यूनिशिया में हुआ। ट्यूनिशिया में पांथिक व पंथ निरपेक्ष शक्तियों के बीच विवाद व मतभेद भी अत्यन्त स्पष्ट थे।

देश में विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित आन्दोलनों, अभियानों, विशेषकर ऐसे अभियान, जो देश की नीतियों को प्रभावित करने वाले होते हैं उनके प्रति एक विशेष सावधानी आवश्यक है। देश में अनेक पृथकतावादी आन्दोलन भी चलते हैं। इसका एक उदाहरण कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित अलगाववादी आन्दोलन है। कश्मीर के सम्बन्ध में आम आदमी पार्टी के प्रशान्त भूषण का भी यह वक्तव्य कि, कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुशंसा के अनुसार जनमत संग्रह करा लेना चाहिये और उसमें यदि कश्मीर के लोगों का अलग होने के पक्ष में मत आये तो, उन्हें अलग कर देना चाहिये। इस पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, और उन्होंने भी यह कहा था कि यह उनका निजी मत है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिये कि कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण रूप से हो चुका है। इस तथ्य के प्रति उनका क्या अभिमत है? और क्या वे कश्मीर पर प्रशान्त भूषण के मत को निरस्त करते हैं या नहीं और उनके इस मत को बदलवाने में समर्थ है अथवा नहीं? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिये इस सम्बन्ध में देश कोई भी राजनितिक समझौता नहीं कर सकता है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

विदेशी आइने में 'आप' का अक्स

भारतीय लोकतंत्र इस नये घटनाक्रम से सचमुच अभिभूत है। निराशा मिट रही है। आशा की मंद–मंद हवायें आनन्दित कर रही हैं। किंतु क्या यह आनंद स्थाई होने जा रहा है? कहीं यह आशा निराशा में तो नहीं बदल जायेगी? ऐसी शंका करने वाले कहते हैं कि दुनिया में होती हलचलों को सामने रखें तो, नजरिया कुछ और ही नजर जाता है। इससे मानना, न मानना गहरे विश्लेषण का विषय है.. लेकिन जानना, इस वक्त की एक अहम् जरूरत। आइये जाने कि क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय कथ्य और उसका सत्य?

■ अरुण तिवारी

मात्र एक बरस में एक पार्टी का उदय होकर वैकल्पिक राजनीति का सूत्रधार बन जाना कोई सहज घटना नहीं है। निश्चित ही आज आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में चर्चा का सबसे आकर्षक विषय है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह एक किसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया का परिणाम है अथवा किसी खास तरह की खास नियोजन व प्रबंधन का? यदि रामलीला मैदान के जनलोकपाल की हुंकार से लेकर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद तक की ललकार के बाहरी चित्र को देखें, तो निश्चित ही यह सत्तारूढ दल से नाराजगी और विपक्ष से उदासीनता की स्थिति में जनता द्वारा बेहतर विकल्प की तलाश का नतीजा है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह एक नये दौर की तरह देखा और परखा जा रहा है।

एक आम सफाई कर्मचारी की बेटी उठकर खास बन जाना; एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का खास से पहले आम के लिए खुल जाना; 'आप' के नेताओं का कल्फ के कड़क कुर्ते–पायजामा की सफेदपोशी से हटकर आमपोश हो जाना और सबसे ज्यादा तो निर्णय में आम आदमी की भूमिका का अहम् हो जाना; इन सारे चित्रों से समूचा जनमानस निश्चित ही उत्साहित है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की पूछ एकाएक बढ़ गई है। राजनेता उनकी तलाश कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र इस नये घटनाक्रम से सचमुच अभिभूत है। निराशा मिट रही है। आशा की मंद–मंद हवायें आनन्दित कर रही हैं। किंतु क्या यह आनंद स्थाई होने जा रहा है? कहीं यह आशा निराशा में तो नहीं बदल जायेगी? ऐसी शंका करने वाले कहते हैं कि दुनिया में होती हलचलों को सामने रखें तो, नजरिया कुछ और ही नजर जाता है। इससे मानना, न मानना गहरे विश्लेषण का विषय है.. लेकिन जानना, इस वक्त की एक अहम् जरूरत। आइये जाने कि क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय कथ्य और उसका सत्य?

गौरतलब है कि आर्थिक उदारवाद का एक अध्याय पूर्ण हो चुका है। इसके नफे–नुकसान सामने आने लगे हैं। नई तकनीक के उत्कर्ष ने खरीद–बिक्री के माध्यम व वित्त संचालन के तौर–तरीके बदल दिए हैं। सुधरी आर्थिकी वाले देशों में सेवा उद्योग प्रमुखता से उभर रहा है। गरीब देशों में मानव संसाधन व प्राकृतिक संसाधन... अन्य की तुलना में ज्यादा शेष हैं। अतः आज अफ्रीका, एशिया व लेटिन अमेरिका.. दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था हैं और कभी आर्थिकी और भौगोलिक शक्तियों के पारंपरिक केन्द रहे यूरोप और उत्तरी अमेरिका मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था।

विश्व इकोनॉमी फोरम की इस योजना के लक्ष्य हैं : 'रियो प्लस 20 समूह' के देश व वर्ष–2030; क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ष–2030 तक तापमान दो डिग्री तक बढ़ जायेगा; फसल उत्पादन गिर जायेगा और पर्यावरण व सेहत पर खतरे ज्यादा होंगे। जाहिर है कि बाजार के मौके बढ़ जायेंगे; तब सत्ता का संचालन बाजार के अनुकूल होना चाहिए।

'विश्व इकोनॉमी फोरम–2013' की ताजा रिपोर्ट साफ बताती है कि नई आर्थिक चुनौतियों से उबरने के लिए परंपरागत शक्तिशाली देशों, कंपनियों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 'एड' के जरिए 'ट्रेड' बढाने की रणनीति अख्तियार कर ली है। 'कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी' और के नाम पर आय का एक हिस्सा तय करने का नियम इसी रणनीति का भारतीय संस्करण है। इस रणनीति कि तहत् वैश्विक संगठनों ने तय किया कि वे अपने इस त्रिगुट में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल करें।

अभी तक ये संगठन रचना, शिक्षण, पैरवी, निगरानी व अभिभावक की भूमिका निभाते रहे हैं; अब इन्हें दो नई भूमिकाओं में लाया जाए। रणनीतिक व बौद्धिक संगठनों को सीधे–सीधे सुशासन सुनिश्चित

करने जैसे काम में लगाया जाए। बड़े जनाधार वाले गंवई संगठनों को 'बाजार को प्रभावी बनाने के संचालक' की भूमिका में लाया जाए। युवा बनाम प्रौढ़ की आबादी को आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक घटकों में बांटा जाये। जनास्था यानी धार्मिक–अध्यात्मिक समुदायों को भी इस काम में जोड़ा जाए।

इसीलिए मंशा से तय किया गया है कि अपने बाजार देशों में पहले कुशासन के मुद्दे का उभरा जाए। क्योंकि शासन–प्रशासन के फेल होने पर ही समाधान के रूप में निजीकरण को पेश किया जा सकता है। कुशासन का मुद्दा स्थापित होने के बाद सुशासन की मांग को भुनाया जाए। कहा जाए कि सुशासन सुनिश्चित होने से गरीबी स्वतः कम हो जायेगी। अनुकूल संगठनों व व्यक्तियों को चिन्हित कर नई भूमिका में लाया जाए। सयुंक्त राष्ट्र संघ के कई कार्यक्रम संचालक ऐसे संगठनों व लोगों की आर्थिक क्षमता व उनकी बहुआयामी सामर्थ्य बढ़ाने के काम में ही लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि शासन में पारदर्शिता व जनसंवाद जैसे मुद्दों के जरिए ऐसे संगठनों की विश्वसनीयता बढ़ाई जाए।

विश्व इकोनॉमी फोरम की इस योजना के लक्ष्य हैं : 'रियो प्लस 20 समूह' के देश व वर्ष–2030; क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ष–2030 तक तापमान दो डिग्री तक बढ़ जायेगा; फसल उत्पादन गिर जायेगा और पर्यावरण व सेहत पर खतरे ज्यादा होंगे। जाहिर है कि बाजार के मौके बढ़ जायेंगे; तब सत्ता का संचालन बाजार के अनुकूल होना चाहिए।

यदि हम देखें कि हमारे धार्मिक–अध्यात्मिक आस्था संगठन किस तरह 'बिजनेस मॉडल' पर चल निकले हैं। चाय, आटोमोबाइल, कृषि, बैंक व बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए सामाजिक संगठनों को मिलाकर काम करने के टाटा कंपनी के मॉडल पर गौर करें। यूनीलीवर, बाटा और ग्रामीण डायेन फूड लिमिटेड के साथ मिलकर 'केयर' जैसी संस्था बांग्ला देश में तमाम उत्पाद के बेचने में लगी है। हैती में बीमा उत्पादों की बिक्री में 'मर्सीकोर' कर रही है। स्पष्ट है कि जो स्वयंसेवी संगठन पहले अप्रत्यक्ष रूप से सुपोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरित क्रांति आदि का नारा देकर तमाम उत्पादों का

बाजार बढाने में सहायक हो रहे थे, वे अब सीधे–सीधे बाजार में उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। यह नई भूमिका है।

''एक दशक पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ गैर सरकारी संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता न सिर्फ जनता के हित में अपनी सोच के अनुसार

प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 'आप' के उदय से सार्वजनिक व सामुदायिक क्षेत्र का अनुशासन व स्वालंबन लौटेगा या फिर यह प्रयोग भी अंततः गुणवत्ता के नाम पर सेवा व प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के क्षेत्र में 'निजीकरण' का वाहक बनकर रह जायेगा? अब इस प्रश्न का उत्तर भी आम आदमी ही तय करे, तो बेहतर।

एक खास कानून बनाने की मांग करेंगे, बल्कि अपने मॉडल को लागू करने के लिए अड़ भी जायेंगे।'' लोकपाल को लेकर टीम अन्ना की भूमिका के संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी का यह बयान भी संगठनों की नई भूमिका की ओर ही इंगित करता है।

यह आशंका इसलिए भी स्वाभाविक है, चूंकि 'आप' का पूरा घोषणापत्र बिजली कंपनियों की बेईमानी, ऑडिट व किराना में विदेशी निवेश पर रोक की बात तो करता है, लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य जैसी परंपरागत तौर पर सरकार के हिस्से में रही बुनियादी सेवाओं व ढांचागत क्षेत्रों के निजीकरण को हतोत्साहित करने को लेकर एक शब्द नहीं कहता। अलबत्ता टैक्स व उद्योग लाईसेंस के सरलीकरण व कंपनियों में प्रतियोगिता बढ़ाने की बात घोषणापत्र में जरूर है।

प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 'आप' के उदय से सार्वजनिक व सामुदायिक क्षेत्र का अनुशासन व स्वालंबन लौटेगा या फिर यह प्रयोग भी अंततः गुणवत्ता के नाम पर सेवा व प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के क्षेत्र में 'निजीकरण' का वाहक बनकर रह जायेगा ? अब इस प्रश्न का उत्तर भी आम आदमी ही तय करे, तो बेहतर। ❑

नरेन्द्र मोदी : निर्दोष होते हुए दोषी होने की 12 वर्ष की पीड़ा

वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में देश की उच्चतम अदालत के द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित हुआ था। उसने मोदी को क्लीन चिट दी और अब अदालत ने क्लीन चिट दी। यह दोनों ही निर्णय मोदी को राजनीतिक रुप से एक बड़ी राहत मानी जा सकती है। जिस पर मोदी ने स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने ब्लाग पर अपनी पीड़ा व्यक्त की तथा विरोधियों के अनगिनत हमलों का जिक्र किया। देश के शायद मोदी ही एक मात्र राजनेता होगें जिनको किसी असफलता के लिए इतना अधिक लांछित किया गया हो। दंगों में उनकी सक्रिय भूमिका के बिना किसी प्रमाण के बाबजूद विरोधियों के द्वारा उन्हें ने केवल लांछित किया गया बल्कि उनके विरुद्ध देश व विदेश में सुनियोजित अभियान चलाया गया।

■ **डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल**

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व में शायद एकमात्र नेता होंगे जो कि निर्दोष होते हुए भी निरन्तर 12 वर्ष तक दोषी करार दिये जाते रहे। इस प्रकार की पीड़ा मात्र वही समझ सकता है जो इस दंश को झेलता है। विश्व में भारत के अलावा शायद ही कोई अन्य लोकतांत्रिक देश होगा जहां एक व्यक्ति को निर्दोष होते हुए मात्र राजनीतिक कारणों (मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति) से निरन्तर 12 वर्ष के लम्बे अंतराल तक निशाने पर लिया जाता रहा हो अथवा राजनैतिक अछूत के रूप में घेरा जाता रहा हो तथा अभी भी (जासूसी मामले) यह प्रक्रिया चल रही हो।

राजनीतिज्ञों को गोधरा स्टेशन पर जलता हुआ रेल का डिब्बा कभी याद नहीं आया बल्कि उसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए आक्रोश से गुजरात में फैले दंगे सदैव याद आते रहे। इसको ही सियासत कहते है जो कि हकीकत को नजरों से ओझल ही कर देती है जबकि सियासत सियासत ही होती है और हकीकत हकीकत ही होती है।

अदालत के द्वारा 26 दिसम्बर 2013 दिन गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी (जिनकी मौत गुजरात के दंगों में वर्ष 2002 में हो गई थी) की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया गया। फरवरी 2012 को एसआईटी के द्वारा दी गई क्लोजर रिपोर्ट को जाकिया जाफरी के द्वारा खारिज करते हुए नरेन्द्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों व अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग याचिका में की थी। क्लोजर रिपोर्ट में मोदी सहित 63 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (स्पेशल इन्वेश्टीगेशन टीम– एसआईटी) ने क्लीन चिट दे दी थी। जाकिया जाफरी की याचिका में कहा गया कि पुलिस महानिदेशक आर बी कुमार, आईपीएस राहुल शर्मा, निलम्बित आईपीएस संजीव भट्ट के ब्यान व सुबूतों के साथ स्वयं एसआईटी की ओर से जुटाए गए सुबूतों के आधार पर मोदी व उनके 62 अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए जिस पर अदालत में मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी.जे. गणात्रा ने 26 दिसम्बर 2013 को अपने 350 पृष्ठ के निर्णय में कहा गया कि सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तथा स्पष्ट रुप से कहा गया कि आपकी (जाकिया जाफरी) याचिका खारिज करता हूँ। आप ऊपरी अदालत जा सकते है।

अदालत के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया पर जाकिया जाफरी ने कहा कि वे ऊपरी अदालत में अवश्य जायेगें। जाकिया के पति अहसान जाफरी गुलबर्ग सोसायटी दंगे में प्राण गंवा चुके है। जाकिया ने कहा कि न्याय अभी नहीं मिला तो कभी भी नहीं मिलेगा। जाकिया के पुत्र तनवीर जाफरी को अदालत के इस निर्णय से अफसोस हुआ है। जाकिया के वकील मिहिर देसाई ने कहा कि दो तीन हफ्तों में वे ऊपरी अदालत में जायेंगे अभी यह फैसला मोदी के लिए राहत की बात ही मानी जा सकती है। अदालत ने उनके कानूनी तर्कों को महत्व नहीं दिया है। एसआईटी के वकील एस. आर. जमुवार ने कहा कि जांच की दिशा ठीक है और अदालत के फैसले से यह बात साबित भी हो गई है। क्लोजर रिपोर्ट कानूनी दृष्टि से सही थी। नानावटी आयोग मोदी व अन्य को यदि आरोपी मानता है तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक लापरवाही या गलती का मामला बन सकता है। दंगों में प्रसिद्ध हुई सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का कहना है कि एसआईटी को पर्याप्त सुबूत मिले है। न्यायमित्र राजू रामचंद्रन के अुनसार मोदी व अन्य के विरुद्ध तथ्य, सुबूत व बयान पर्याप्त है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी ने अदालत के निर्णय को नरेन्द्र मोदी की जीत बताया है गत 12 वर्ष से मोदी के विरुद्ध किये जा रहे दुष्प्रचार अब थम जाने चाहिए। यह सच की जीत है। भाजपा के नेता अरुण जेटली के अनुसार फर्जी बयानबाजी सबूत नहीं हो सकते है। असत्य व सत्य के बीच बुनियादी अंतर होता है। असत्य में तथ्य बिखर जाते है और सत्य में सभी तथ्य एक साथ बने रहते है। भाजपा के इस विचार की पुष्टि हुई है कि मोदी पर आरोप दुष्प्रचार व राजनीतिक दुराग्रह की दृष्टि से लगाए गये और इसमें कोई तथ्य नही थे। कांग्रेस व उसके मित्र विभिन्न एनजीओ के दुष्प्रचार के दौरान भी मोदी गुजरात के तीन तीन आम चुनाव जीतते रहे, मोदी को राजनीतिक और प्रशासनिक कुशलता साबित करने के बाद आज न्याय पालिका ने भी पाक साफ करार देने की पुष्टि की है।

नरेन्द्र मोदी व भाजपा की यह नैतिक जीत है। अरुण जेटली ने कहा कि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस नरेन्द्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है इसलिए इस तरह के दुष्प्रचार करती रहती है।

वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामले में देश की उच्चतम अदालत के द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित हुआ था। उसने मोदी को क्लीन चिट दी और अब अदालत ने क्लीन चिट दी। यह दोनों ही निर्णय मोदी को राजनीतिक रुप से एक बड़ी राहत मानी जा सकती है। जिस पर मोदी ने स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने ब्लाग पर अपनी पीड़ा व्यक्त की तथा विरोधियों के अनगिनत हमलों का जिक्र किया। देश के शायद मोदी ही एक मात्र राजनेता होगें जिनको किसी असफलता के लिए इतना अधिक लांछित किया गया हो। दंगों में उनकी सक्रिय भूमिका के बिना किसी प्रमाण के बाबजूद विरोधियों के द्वारा उन्हें ने केवल लांछित किया गया बल्कि उनके विरुद्ध देश व विदेश में सुनियोजित अभियान चलाया गया।

यह कहा जा सकता है कि देश में मोदी विरोध नाम का एक नया उद्योग ही खड़ा हो गया जिसकी पूंजी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों व लोभ की थी तथा विभिन्न राजनैतिक दल उसके शेयर होल्डर थे। देश व विदेशी मीडिया भी मोदी को खलनायक मान कर प्रचार करते रहे है। अब आशा की जा रही है कि मोदी को गुजरात के दंगों के बहाने निशाना बनाने की प्रवृत्ति का परित्याग हो सकेगा तथा मोदी को दंगों के लिए कठघरे में खड़ा करने वालों को अपनी गलती का तनिक भी अफसोस हो जाए तो अच्छा होगा। बल्कि होना तो यह चाहिए कि जिन्होंने मोदी को दोषी ठहराया व उनके विरुद्ध अर्नगल प्रलाप किया उन सभी को मोदी से माफी मांगनी चाहिए उन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर जलता हुआ कोच आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया? यह अंधापन ही गुजरात की सारी स्थिति को बिगाड गया।

अब अच्छा हो कि सभी राजनीतिक दल समझदारी से काम लेते हुए अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के चक्कर में दंगों के घावों को न कुरेंदे। दंगों के प्रति सभी राजनीतिक दलों को जागरुक होना चाहिए और ऐसी स्थिति व सोच उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें देश भर में कहीं भी इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे न हो सके। देश के दंगों में केवल निर्दोष आम लोग ही मारे जाते है। देश के राजनेताओं को देश के विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी घटनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले साम्प्रदायिक तनाव को कम करने के ठोस उपाय करने चाहिए।

गुजरात ने 2002 के दंगों से सबक लिया और विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ जबकि गुजरात के दंगों से देश के अन्य प्रान्तों ने कोई सबक नही लिया जिसका ताजा उदाहरण सितम्बर 2013 में उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के दंगे है जिसमें हजारों निर्दोष लोग विस्थापित हुए और सर्दी की रातें टेंटों में गुजराने के लिए बाध्य हुए और 60 से अधिक लोगों ने अपनी जाने गवांयी। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दो युवकों की नृशंस हत्या से जनपद के ग्रामीण अंचलों में घटना के एक हफ्ते में उत्पन्न हुए साम्प्रदायिक तनाव के बाद दंगे हुए जबकि गुजरात में गोधरा के रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे 69 रामसेवकों को एक कोच में जिन्दा जला दिया गया और प्रतिक्रियास्वरुप गुजरात में दंगे भड़क गये जिसकी जांच के लिए कुछ समितियां जरुर बनी। उनकी रिपोर्टों को देख कर कोई भी कह सकता है कि हकीकत पर सियासत हावी हो गयी, क्योंकि सभी रिपोर्ट अलग अलग थी, एक दूसरे से उलट थी। अब सच का अंदाजा कैसे लगे, और सच का अंदाजा नहीं लगा, लोगों ने अपनी अपनी धारणाओं से बने अपने अपने दृष्किोण से रिपोर्टों के सच को देखा। बेधारणा आधारित दृष्टिकोण आज भी कायम है जिसके अंतर्गत ही कोई निर्दोष व्यक्ति दोषी होने का दंश 12 वर्ष के एक लम्बे समय तक झेलता रहा। क्या अब वे लोग व संस्थाएं मोदी से माफी मांगने की हिम्मत कर सकते है जो मोदी को हिटलर, फासीवादी अथवा अन्य प्रकार से संबोधन करते हुए गुजरात के नरसंहार के लिए उनको दोषी मानते रहे है? ❑

समाचार परिक्रमा

भारत ने लगाई अंतरिक्ष में लंबी छलांग

5 जनवरी 2014 के दिन भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाकर एक नया इतिहास रच दिया। इसरों ने 5 जनवरी की शाम 4 बजकर 18 मिनट पर जीएसएलवी डी–5 को लांच किया। इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया। इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत उन छह देशों में शामिल हो गया जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस की पास थी। क्रायोजेनिक तकनीक से लैस चुनिंदा राष्ट्रों के क्लब में शामिल होने के बाद भारत को अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए अब किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित 49.13 मीटर लंबा यह रॉकेट अपने साथ ले गए 1,982 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह जीसेट–14 को उसकी वांछित कक्षा में स्थापित करने में कामयाब रहा। इस अभियान पर 356 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इतना ही नहीं अब वह दूसरे देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ 414.75 टन वजनी जीएसएलवी डी5 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के राधाकृष्णन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। के. राधाकृष्णन ने कहा आज मैं काफी खुश हूँ कि इस काम को इसरो की टीम ने अंजाम दिया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन ने अनुमान के मुताबिक सही काम किया और जीसैट–14 उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। जीएसएलवी को देश में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन के साथ लांच करना इसरों के लिए वर्ष 2001 से एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इससे पूवै हुए सात प्रयासों में से सिर्फ चार ही सफल रहे थे। इस सफल लांच के बाद इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ गया है। वह भारी उपग्रह ले जाने वाले जीएसएलवी तृतीय यान को विकसित करना शुरू कर चुके है। इसका इस्तेमाल चंद्रयान–2 के प्रक्षेपण में किया जाएगा। चंद्रयान–2 का प्रक्षेपित करने की योजना वर्ष 2016 तक बनाई है। ❑

थोक महंगाई 14 माह के उच्च स्तर पर पहुँची

यूपीए–2 सरकार की तमाम कोशिशों और नाकामियों की वजह से महंगाई घटने के बजाए बढ़ती ही जा रही है। अभी भी सब्जियों के थोक मूल्य उच्चतम स्तर पर है। थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 7.52 प्रतिशत पर पहुंच गई है। प्याज–आलू और सभी सब्जियों के दाम ऊंचे रहने के कारण बीते वर्ष नवम्बर माह के अंत तक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मंहगाई दर 14 माह के उच्चतम स्तर 7.52 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इससे पूर्व सितम्बर 2012 के बाद थोक महंगाई का यह सबसे ऊंचा स्तर है। थोक महंगाई दर के यह आंकड़े ऐसे समय आए जबकि खुदरा मंहगाई पहले से ही 11.24 प्रतिशत के स्तर पर आ चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आलोच्य अवधि में सब्जियों के दाम में 95.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। ❑

बैंक जमा के आधार पर दिल्ली, महाराष्ट्र हुए सबसे ज्यादा अमीर

पिछले दो दशक अर्थात् 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। बीते 20 साल बाद जब आर्थिक उदारीकरण के आने से सबसे अधिक किस राज्य ने इसका फायदा उठाना तो शायद जवाब मिलना मुश्किल होगा। परन्तु अगर बैक जमा के आधार पर आकलन की मानें तो उदारीकरण का लाभ उठाने वाले राज्यों में महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे रहे है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसका ज्यादा लाभ नहीं उठा सके। बैंक जमा के आधार पर धन का आकलन करने पर यह पता चलता है कि बीते 20 सालों में राज्यों ने कई उतार–चढ़ाव भी देखें है। ❑

भारत को लेकर 61% निवेश पेशेवर आशावान

एक सर्वेक्षण के अनुसार निवेश कारोबार क्षेत्र में ज्यादातर भारतीय पेशेवर घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर आशावान हैं। हालांकि वे वित्तीय कंपनियों में नैतिकता की कमी को भी लेकर चिंतित है। सीएफए इंस्टीट्यूट के सालाना वैश्विक बाजार धारणा सर्वेक्षण में कहा गया है कि उसके भारतीय सदस्य अपने स्थानीय बाजार को लेकर अधिक उत्साहित है। 61 प्रतिशतों का मानना है कि वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तार करेगी। जहां तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की बात है तो सर्वेक्षण में शामिल 56 प्रतिशत भारतीय सदस्यों ने इसमें सुधार की उम्मीद जताई है। वहीं वैश्विक स्तर पर 63 प्रतिशत ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विस्तार करेगी। ❑

50 करोड़ लोग करते है हर साल धार्मिक यात्राएं

एक तरफ देश में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा जैसी बढ़ती आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के कारण परेशान है फिर भी लोगों में धर्म और भगवान के प्रति आस्था दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज तीर्थ यात्राओं की मांग बढ़ रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 85 करोड़ लोग यात्राएं करते हैं। जिनमें से करीब 50 करोड़ यात्राएं धार्मिक होती हैं। फिक्की और एक निजी बैंक के एक सर्वे के अनुसार भारत में तीर्थ यात्राओं की तेजी से बढ़ती मांग सरकार और उद्यमियों के सामने कई नई चुनौतियां और संभावनाएं पैदा कर रही है।

ऑनलाइन पोर्टल टेम्पल यात्री डाट काम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजन श्रीवास्तव के अनुसार इंटरनेट के प्रसार के साथ लोगों में ऑनलाइन तीर्थों की जानकारी हासिल करने, तीर्थ यात्राओं की योजना बनाने और तीर्थ यात्रा पैकेज बुक करने की प्रवृत्ति में काफी तेजी से बढ़ रही है। हर साल तीर्थ यात्राओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रंजन श्रीवास्तव के अनुसार हर दिन 4000 से 5000 लोग वैष्णो देवी, शिरडी और तिरुपति की यात्रा की योजना बनाने के लिए आते हैं। अक्सर लोगों के बीच सबसे ज्यादा मांग मन्दिरों में दर्शन और आरती की बुकिंग को लेकर है। इसके अलावा लोग धर्मिक यात्राओं के साथ घूमने और रोमांच के कार्यक्रमों को भी शामिल करते हैं। परंपरागत तीर्थ यात्राओं के अलावा योग और आयुर्वेद से जुड़ी यात्राएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। ❑

भारती की हिस्सेदारी खरीदने के लिए वालमार्ट को मिली हरी झंडी

दुनिया की प्रमुख खुदरा क्षेत्र की कंपनी वॉलमार्ट को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से संयुक्त उद्यम में थोक स्टोर कारोबार के लिए भारती समूह की करीब 50 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। संयुक्त उद्यम भारती वॉलमार्ट प्राइवेट लि. का गठन बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेन ब्रांड के तहत थोक स्टोर का परिचालन करने के लिए कहा गया था। फिलहाल देश में इस संयुक्त उद्यम के 19 थोक स्टोर है। ❑

खुदरा दुकानें खोलने को तैयार टेस्को

ब्रिटेन की खुदरा कंपनी टेस्को पीएलसी टाटा समूह के साथ मिलकर 11 करोड़ डालर के निवेश से बहु ब्रांड खुदरा कारोबार शुरू करना का विचार बना चुकी है इसके लिए उसने सरकार से अनुमति मांगी है। टेस्को ने बेंगलुरू और कोल्हापुर में खुदरा स्टोर्स खोलने के लिए अपने मौजूदा भारतीय साझीदार ट्रेंट के साथ 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया है। ट्रेंट टाटा समूह की खुदरा कंपनी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 'हम भारत में निवेश करने के टेस्को के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम अपनी ओर से उन्हें त्वरित मंजूरियों के लिए हर मदद का आश्वासन देते हैं।' ❑

बढ़ रहा देश में मोबाइल टीवी का बाजार

भारत में आज हर युवा स्मार्टफोन खरीदना चाहता है। पिछले दो वर्ष से भारतीय युवा पीढ़ी में स्मार्टफोन खरीदने की चाहता काफी बढ़ गई है जिसके कारण स्मार्टफोन के बिक्री के साथ–साथ मोबाइल पर टीवी देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते साल इसके दर्शकों की संख्या में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूरसंचार एक निजी एयरटेल ने अपने सालाना सर्वेक्षण एयरटेल मोबीटयूड 2013 में यह निष्कर्ष निकाला है। कंपनी के अनुसार बीते साल लोगों ने अपने मनपसंद टीवी शो देखने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। जिसके कारण मनोरंजन चैनल की दर्शक संख्या खेल तथा समाचार चैनलों की तुलना में कहीं अधिक रही है। ❑

अब छोटे शहरों में बढ़ा ऑनलाइन शॉपिंग का व्यापार

महानगरों के बाद अब रांची, सूरत, झांसी तथा कोयम्बटूर जैसे दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हालांकि नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड रखने वालों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि नहीं हुई है लेकिन अगर नेट बैंकिंग यूजर्स की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से ऑनलाइन शापिंग करने वालों की संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। फिलहाल ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे इंटरनेट का दायरा बढ़ेगा फिर देश के छोटे शहरों में भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या में इजाफा होगा वैसे– वैसे आनलाइन शापिंग कारोबार तेजी से फले–फूलेगा। ❑

देश में बढ़ रहे हवाई यात्री

एक तरफ देश का आम आदमी भ्रष्टाचार से ज्यादा महंगाई से पीड़ित है वही दूसरी तरफ हवाई सैर करने वाले भारतीयों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय विमानन कंपनियों ने वर्ष 2013 के नवम्बर माह तक 558.39 लाख लोगों को हवाई सैर कराई जो पिछले साल 2012 की इसी अवधि के मुकाबले 4.52 प्रतिशत अधिक है। नागर विमानन महानिदेशालय के मुताबिक, भारतीय एयरलाइंस ने अकेले नवम्बर 2013 में 51.37 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की, जबकि वर्ष नवम्बर 2013 में घरेलू विमानन कंपनियों के विमानों से 50.20 लाख यात्रियों से यात्रा की थी।❑

चीन का सिलेंडर पहुंचा रहा है पर्यावरण को नुकसान

एक तरफ चीन भौगोलिक सीमा में घुसपैठ कर भारत को चुनौती तो दे ही रहा है साथ ही उसकी एक करतूत भारत के ऊपर ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आर–22 गैस सिलेंडर की भारत में तस्करी के जरिए आ रहा है। इस सिलेंडर में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली बेहद खतरनाक गैस होती है। अगर समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत के पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। आर–22 गैस सिलेंडर का बड़े उद्योगों के रेफ्रिजरेशन प्लांट में उपयोग किया जाता है। भारत में अचानक चीन निर्मित इस सिलेंडर की तस्करी काफी बढ़ा गई है। इसके कारण खुफिया एजेंसियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस वर्ष छह महीने में चार हजार से ज्यादा आर–22 सिलेंडरों को जब्त किया है। भारत में आर–22 मानट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसके उपयोग में काफी सख्ती बरती गई है और इसके आयात करने का लाइसेंस बहुत कम लोगों को दिया गया है। इसके बावजूद चीन द्वारा निर्मित आर– 22 सिलेंडर को मलयेशिया और दुबई के रास्ते तस्करी कर भारत भेजा जा रहा है। अगर शीघ्र इस तस्करी को रोका नहीं गया तो सिलेंडरों की तस्करी देश के पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। ❑

वर्ष 2028 तक भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

लंदन स्थित आर्थिक सलाहकार कंपनी सीईबीआर के अनुसार भारत 2028 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कंपनी सीईबीआर के अनुसार 2028 में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वही सीईबीआर की वर्ष 2013 के लिए विश्व आर्थिक लीग टेबल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूची में भारत इस साल कनाडा से एक पायदान खिसक गया है। इस समय भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनांकिकी और आर्थिक वृद्धि के बूते भारत इस सूची में आगे बढ़ेगा और 2028 तक वह जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह रिपोर्ट सलाहकार कंपनी की सालाना गणना है। ❑

भारत से फैले दुनिया भर में हाथी

हाथियों की उत्पत्ति अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में हुई थी। और यहीं से वे पूरी दुनिया में फैल गए। आन्ध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश में मिले जीवाश्मों व दिल्ली विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के प्रोफेसर जीवीआर प्रसाद और उनकी टीम द्वारा किये गये शोध में यह बात उभरकर सामने आयी है। प्रोफेसर प्रसाद के अनुसार अभी तक अफ्रीका में लगभग 6.3 करोड़ साल पुराने स्तनधारी के जीवाश्म मिले थे। इसी आधार पर विश्व भर के वैज्ञानिकों का कहना था कि हाथियों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, लेकिन अपने देश में अब तक सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 6.6 करोड़ साल पहले के हाथियों से मिलते–जुलते जानवर के जीवाश्म मिले हैं, जो अफ्रीका में मिले जीवाश्म जैसे ही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हाथियों की उत्पति अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में हुई, क्योंकि भारत नौ करोड़ साल पहले ही अफ्रीका से अलग हो गया था। ❑

औद्योगिक उत्पादन 2.1 प्रतिशत घटा

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों को झटका देते हुए नवम्बर, 2013 में औद्योगिक उत्पादन 2.1 प्रतिशत घट गया। जो अब तक पिछले छह महीनों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन और उपभोक्ता सामान विशेषकर फ्रिज, एसी आदि का उत्पादन कम घटने से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। ❑

खतरनाक स्तर पर पहुँचता प्रदूषण

आंकड़े बताते हैं कि हर साल मानवजनित वायु प्रदूषण से तकरीबन 4.7 लाख और औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न प्रदूषण से 21 लाख लोग दम तोड़ते हैं। शोध में कहा गया है कि अगर इससे निपटने की तत्काल नियंत्रण रणनीति तैयार नहीं हुई तो भविष्य में बड़ी नियंत्रण जनसंख्या प्रदूषण की चपेट में होगी. . .उपग्रहों से लिए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 189 शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण स्तर भारतीय शहरों में पाया गया है।

■ **अरविन्द जयतिलक**

वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण से निपटने की ठोस रणनीति न होने का ही परिणाम है कि हर वर्ष लाखों लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और हजारों लोग काल के शिकार बन रहे हैं। पिछले दिनों एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स जर्नल के एक शोध से खुलासा हुआ है कि दुनियाभर में प्रदूषण से तकरीबन 26 लाख लोगों की मौत होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलीना के विद्वान जैसन वेस्ट का अध्ययन बताता है कि इनमें से ज्यादतर मौतें दक्षिण और पूर्व एशिया में हुई हैं।

आंकड़े बताते हैं कि हर साल मानवजनित वायु प्रदूषण से तकरीबन 4.7 लाख और औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न प्रदूषण से 21 लाख लोग दम तोड़ते हैं। शोध में कहा गया है कि अगर इससे निपटने की तत्काल नियंत्रण रणनीति तैयार नहीं हुई तो भविष्य में बड़ी नियंत्रण जनसंख्या प्रदूषण की चपेट में होगी।

वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी दूषित हवा को कैंसर का बड़ा कारण माना है जबकि अभी तक कैंसर के लिए तंबाकू और रेडिएशन को ही सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता रहा है। शोध से यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के विभिन्न शहर प्रदूषण की चपेट में हैं।

उपग्रहों से लिए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 189 शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण स्तर भारतीय शहरों में पाया गया है।

2010 में आई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता और दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित हवा वाले शहर हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2009 से 2011 के बीच फेफड़े के कैंसर के सबसे अधिक मामले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में ही सामने आए हैं। सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का आंकलन है कि देश में 2026 तक चौदह लाख लोग किसी न किसी तरह के कैंसर से पीड़ित होंगे।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने सरकार को आगाह किया है कि वह प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि हर शहर में वाहनों के लिए यूरो–4 नियम लागू करना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि इसे लेकर सरकार अभी गंभीर नहीं दिख रही है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जब भी वायुमंडल में गैसों का अनुपात संतुलित नहीं रह जाता है तब प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। हाल के वर्षों में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घटी है और दूषित गैसों की मात्रा बढ़ी है। कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा में तकरीबन 25 फीसद की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण बड़े कल–कारखानों और उद्योगधंधों में कोयले एवं खनिज तेल का उपयोग है। इनके जलने से सल्फरडाई ऑक्साइड निकलती है जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। भारत समेत दुनिया में हर दिन करोड़ों मोटरवाहन सड़क पर चलते हैं। इनके धुएं के साथ सीसा, कार्बन मोनोक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड

2010 में आई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता और दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित हवा वाले शहर हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2009 से 2011 के बीच फेफड़े के कैंसर के सबसे अधिक मामले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में ही सामने आए हैं। सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का आंकलन है कि देश में 2026 तक चौदह लाख लोग किसी न किसी तरह के कैंसर से पीड़ित होंगे।

के कण निकलते हैं। ये दूषित कण मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। कारखानों और विद्युत गृहों की चिमनियों तथा स्वचालित मोटरगाड़ियों में विभिन्न ईधनों का पूर्ण और अपूर्ण दहन भी प्रदूषण को बढ़ाता है।

सन् 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से विषैली गैस के रिसाव से हजारों व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए और हजारों लोग अपंगता का दंश झेल रहे हैं। इसी प्रकार 1986 में अविभाजित सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर में रिसाव होने से लाखों लोग प्रभावित हुए। इन घटनाओं के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है।

वायु प्रदूषण से न केवल मानव समाज को बल्कि प्रकृति को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जब भी वर्षा होती है तो वायुमंडल में मौजूद विषैले तत्व वर्षा जल के साथ मिलकर नदियों, तालाबों, जलाशयों और मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। अम्लीय वर्षा का जलीय तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

नार्वे, स्वीडन, कनाडा और अमेरिका की महान झीलें अम्लीय वर्षा से प्रभावित हैं। अम्लीय वर्षा वनों को भी बड़े पैमाने पर नष्ट कर रही है। यूरोप महाद्वीप में अम्लीय वर्षा के कारण 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वन नष्ट हो चुके हैं। ओजोन गैस की परत को, जो पृथ्वी के लिए एक रक्षाकवच का कार्य करती है, वायुमंडल की दूषित गैसों के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। इससे सूर्य की खतरनाक पराबैगनी किरणों पृथ्वी पर पहुंचकर तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इससे न केवल कैसर जैसे रोगों में वृद्धि हो रही है बल्कि पेड़ों से कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई है।

नए शोधों से यह भी जानकारी मिली है कि जो गर्भवती महिलाएं वायु प्रदूषित क्षेत्र में रहती है, उनसे जन्म लेने वाले शिशु का वजन सामान्य शिशुओं की तुलना में कम होता है। यह खुलासा एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉस्पेक्टिव द्वारा नौ देशों में 30 लाख से ज्यादा नवजात शिशुओं पर अध्ययन से

हुआ है।

शोध के मुताबिक जन्म के समय कम वजन के शिशुओं को आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों पर भी पड़ रहा है। पिछले दिनों देश के 39 शहरों की 138 ऐतिहासिक स्मारकों पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि शिमला, हसन, मंगलौर, मैसूर, कोट्टयम और मदुरै जैसे विरासती शहरों में पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से भी अधिक है। कुछ स्मारकों के निकट तो यह चार गुना से भी अधिक पाया गया। सर्वाधिक प्रदूषण स्तर दिल्ली के लालकिला के आसपास है।

लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शहरों के स्मारकों के आसपास रासायनिक और धूल प्रदूषण की जानकारी के बाद भी उनके बचाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण के इन दुष्प्रभावों से निपटने और उस पर रोकथाम के लिए कानून नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से तेरह बड़े शहरों समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज–चार और भारत स्टेज–तीन उत्सर्जन नियम 2010 लागू किए। प्रदूषण में कमी लाने के लिए परिष्कृत डीजल और गैसोलिन की आपूर्त्ति बढ़ाई गई। साथ ही कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के बाद देश के अन्य बड़े शहर भी मेट्रो ट्रेन लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण तब लगेगा जब सरकार और आम लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील होंगे। ❑

नई उम्मीदों का वर्ष 2014

विकास के मौजूदा माडल ने एक दोहरेपन के शिकार समाज का निर्माण किया है। जिसमें गरीबों को अपने अस्तित्व की रक्षा से जूझने के लिए हाशिये पर ढकेल दिया गया है। विकास प्रक्रिया को मानवीय प्रयासों का पैमाना होना चाहिए। यह ऐसी होनी चाहिए जिसे विभिन्न जीवन स्तरों पर जी रहे लोग अपना सके और आगे बढ़ सके। 2014 के लोकसभा के चुनावों में जनता इन्हीं उम्मीदों के साथ देश की बागडोर यदि मोदी को सौंपना चाहती है तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं दिखाई देती है।

■ निरंकार सिंह

नये साल में प्रवेश करते हुए उम्मीदों के कुछ नये द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर नरेन्द्र मोदी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय नये भारत के जन्म का संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश अब निराशा और भ्रष्टाचार के गहन अन्धकार के दौर से निकलकर प्रगति के पथ पर जाने के लिए तैयार हो गया है। बस नये नेतृत्व की जरूरत है, जो देश में आशा और उत्साह का संचार करके उसे नयी दिशा दे सके। सौभाग्य से यह नेतृत्व अब उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।

हमारे देश में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतर खेती की उपजाऊ जमीन हमारे पास है। गंगा–यमुना के मैदान में इतना अनाज पैदा किया जा सकता है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भरा जा सकता है। खनिज सम्पदा की भी हमारे पास कमी नहीं है। अपार मानव संसाधनों का उपयोग हम देश की तकदीर बदलने में कर सकते हैं। हम प्राचीन भारत की प्राण–शक्ति को देखकर दंग रह जाते हैं। उसने जिस क्षेत्र में हाथ डाला उसे धन्य कर दिया। राजसत्ता, गणतंत्र, भौतिक विज्ञान, विधि–विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, ललित कला, आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, कहीं भी दरिद्रता नहीं दिखाई देती। भारत ने हर जगह सैकड़ों हाथों से कमाया है और हजारों हाथों से दिया है। उसके साहित्य, कला, धर्म का झंडा सारे संसार में लहराता था। अब फिर देश का स्वाभिमान जाग रहा है और नया सूर्योदय होने वाला है।

वर्ष 2014 उम्मीदों से इसलिए भरा है कि अब भारतीय राजनीति की कसौटी बदल रही है। अब राजनीतिक उम्मीदवार की हार–जीत कोई कसौटी नहीं रही। अब कसौटी यह है कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार, कितना सच्चा है और उसकी कथनी–करनी क्या है। लूट–खसोट और भाई–भतीजावाद की राजनीति का अन्त होने वाला है। इसकी शुरूआत गुजरात और दिल्ली से हो चुकी है। इसलिए आज हमारी दलगत राजनीति के तमाम भ्रष्ट नेता बेचैन और जमीन से उखड़े–उखड़े दिखायी दे रहे हैं। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनसेवा की इस राजनीति का हम मुकाबला कैसे करें।

सवा सौ साल से अधिक एक पुरानी पार्टी की तो पूरी जमीन ही खिसक गयी है। जाति–बिरादरी तथा तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दलों के नेता भी घबराये हुए हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक शुभ लक्षण है। क्योंकि लोकतंत्र तो है ही जनता द्वारा जनता का शासन अथवा उनके जनप्रतिनिधियों का शासन। पर हमारे लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक समस्या है। संविधान, शासन प्रणाली, दल, निर्वाचन ये सब लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं। किन्तु जब तक लोगों में नैतिकता की भावना नहीं होगी लोगों का आचार विचार ठीक नहीं होगा तब तक अच्छे से अच्छा संविधान और राजनीतिक प्रणाली के बावजूद हमारा लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता है। भ्रष्ट और बेईमान नेता जाति बिरादरी के नाम पर हमारा शोषण करते रहेंगे और खुद मालामाल होते रहेंगे। 'आप' के उदय से यह साबित हो गया है कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार ही है, जिससे जनता त्रस्त है।

हमारे प्राचीन ऋषियों ने किसी राज्य की महानता उसके आकार, प्रकार और धन–सम्पत्ति से नहीं बल्कि राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए होने वाले लोक प्रशासन में न्याय तथा न्यायसंगत कार्यो के आधार पर आंकी थी। उनकी

गुजरात के मुख्यमंत्री यदि आज करोड़ों लोगों के चहेते बन गये हैं तो उनमें जरूर कोई ऐसी बात है जो लोगों को लुभा रही है। उन्होंने गुजरात में यह साबित करके दिखाया है कि नेता यदि ईमानदार और दृढ़ संकल्पशक्ति वाला हो तो वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। वह शासन ही नहीं करते हैं बल्कि लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। वे श्रमिको को इस सीमा तक प्रोत्साहित कर देते हैं कि वे अपने कार्य में भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं।

अमर शिक्षा थी कि मनुष्य का वास्तविक विकास भौतिक अथवा शारीरिक मानकों के आधार पर नहीं बल्कि नैतिक तथा आध्यात्मिक आधार पर किया जाना चाहिए। बलिदान सफलता से अधिक महत्वपूर्ण तथा त्याग सफलता का सर्वोच्च मापदंड था। किसी नागरिक का समाज में मान–सम्मान, धन सम्पत्ति या सत्ता के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान के स्तर, गुण तथा चरित्र के आधार पर होता था।

सम्राट अशोक इसका उदाहरण एक उत्तम उदाहरण हैं जो भगवान बुद्ध का सच्चा अनुयायी भक्त था तथा बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष आदर भाव से झुक जाया करता था। उसके मंत्री यश का विचार था कि एक महान सम्राट के लिए भिक्षुओं के समक्ष नतमस्तक होना उचित नहीं है। इसके उत्तर में सम्राट अशोक ने कहा कि ''मैं तो उनके ज्ञान, बुद्धिमता तथा त्याग की भावना के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए उनका अभिवादन करता हूँ। जीवन का यदि कोई अर्थ है तो वह मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा स्थान नहीं बल्कि उसके गुण तथा विवेक है। किसी कुरूप मानव के अस्थिपंजर में भी सर्वोत्तम बुद्धि तथा हृदय छिपा हो सकता है।''

बुद्ध, महावीर आदि से लेकर शंकर, रामानुज, चैतन्य, नानक, कबीर, रामदास, तुकाराम, रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानंद, रैदास आदि और दूसरी ओर चन्द्रगुप्त, चाणक्य, अशोक, खालसा आदि हमारे सामने आते हैं। यह सारा काम भी घास के पुतलों या निष्प्राण स्वप्न सेवियों के वश का नहीं है। जो धारा हमें रामायण और महाभारत में दिखायी देती है वह जीवन के हर क्षेत्र में बह रही थी। लेकिन कुछ स्वार्थी नेताओं ने इस धारा को अवरूद्ध कर दिया है और अब वह फिर बहने को आतुर है।

आम आदमी पार्टी का भी उत्थान सिर्फ एक क्षेत्रीय दल का उदय नहीं है। यह आम आदमी की उम्मीदों के साथ–साथ एक नये किस्म की वैकल्पिक राजनीति का भी उदय है। जो राजनीतिक दल आम आदमी की आशा और आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे, उन्हें अब अपनी विदाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। भाजपा के कई परम्परागत राजनेताओं को यह अटपटा लग सकता है लेकिन वह यदि वे अपनी रीति नीति और चाल–चलन एवं चेहरे को नहीं बदलते हैं तो उनका भी पतन निश्चित है।

गुजरात के मुख्यमंत्री यदि आज करोड़ों लोगों के चहेते बन गये हैं तो उनमें जरूर कोई ऐसी बात है जो लोगों को लुभा रही है। उन्होंने गुजरात में यह साबित करके दिखाया है कि नेता यदि ईमानदार और दृढ़ संकल्पशक्ति वाला हो तो वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। वह शासन ही नहीं करते हैं बल्कि लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। वे श्रमिको को इस सीमा तक प्रोत्साहित कर देते हैं कि वे अपने कार्य में भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। वे लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका कार्य अधिक रूचिकर बना देते हैं।

एक राजनेता का सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि वह इतिहास की सहायता से ईश्वर की पदचाप सुने और उसके साथ चले। हमें एक ऐसे ही महान नेता की आवश्यकता है जो हमें समुदायों के समूह के बजाय एक राष्ट्र के रूप में ढाल सके। वास्तव में एक नेता का काम यह है कि लोग जहां हैं, उन्हें वहां से उस जगह पहुँचाए, जहां उन्हें होना चाहिए। लोग जिस दुनिया में रहते हैं, उसे पूरी तरह नहीं समझते हैं। नेताओं को उन्हें व्यापक दृष्टि सम्पन्न बनाना चाहिए। जो नेता ऐसा नहीं करते वे तात्कालिक तौर पर भले लोकप्रिय हो पर अन्ततोगत्वा असफल साबित होते हैं।

भारत एक सुप्त महाशक्ति है। यदि वह जाग जाए तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उसका नेतृत्व कोई दृढ़ संकल्प शक्ति और बड़े साहस वाला नेता करे। जनता यह गुण नरेन्द्र मोदी में देख रही है और गुजरात उसके सामने एक ठोस उदाहरण के रूप में सामने है। इसलिए मोदी आज भारतीय राजनीति में एक मजबूत इरादों वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं। उनके प्रति लोगों में आकर्षण इस हद तक है कि लोग कहते हैं भाजपा नहीं, सिर्फ मोदी को देखिये। एक पार्टी के रूप में भाजपा में वे सभी कमियां और विसंगतियां हैं जो अन्य दलों व उसके नेताओं में हैं। इसलिए यह तात्कालिक अनिवार्यता है और इसकी दीर्घकालिक आवश्यकता है कि पार्टी शासन प्रणाली और लोकतंत्र, दोनों के लिए एक वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करे और यह एजेंडा शासकों में फैलते भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, अपराधीकरण और इन सबसे अधिक घातक अनैतिकता के विषाणु का विनाश कर सके।

विकास के मौजूदा माडल ने एक दोहरेपन के शिकार समाज का निर्माण किया है। जिसमें गरीबों को अपने अस्तित्व की रक्षा से जूझने के लिए हाशिये पर ढकेल दिया गया है। विकास प्रक्रिया को मानवीय प्रयासों का पैमाना होना चाहिए। यह ऐसी होनी चाहिए जिसे विभिन्न जीवन स्तरों पर जी रहे लोग अपना सके और आगे बढ़ सके। 2014 के लोकसभा के चुनावों में जनता इन्हीं उम्मीदों के साथ देश की बागडोर यदि मोदी को सौंपना चाहती है तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं दिखाई देती है। ❑

किसान मरें तो मरें - लेकिन मिल मालिक मौज करें

सोचने वाली बात है कि देश जिसे अन्नदाता कहता है, और अब तो टीवी पर भी सदी के महानायक हमें अन्नदाता से मिलवाते हैं, वो अन्नदाता आज गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों में सबसे अधिक है। ऐसा क्यों है? क्यों गन्ना किसान जिसे कभी समृद्ध समझा जाता था आज आत्महत्या कर रहा है और उसका शोषण करने वाली शुगर मिलों के मालिक करोड़ोंपति से अब अरबपति बनने की ओर अग्रसर हैं. . .

■ **नरेश सिरोही**

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गन्ना किसान सत्यपाल सिंह ने कुछ हजार रुपये के उधार के चलते आत्महत्या कर ली। गन्ना मिल के पास सत्यपाल का करीब 40 हजार रुपये बकाए थे, जो मिल ने नहीं चुकाए और उसने तंगहाली में आत्महत्या कर ली। इसके बाद मिलों के साथ हुए समझौते में केंद्र सरकार करीब 7200 करोड़ रुपये मिलों को दे रही है और वो भी बिना किसी ब्याज के और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 879 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलों को दी है, लेकिन सत्यपाल के परिवार को बेहद गरीबी की हालत से निकालने के लिए 20 लाख रुपये देने की मांग पर अभी तक यूपी सरकार खामोश है। साफ है कि मिल मालिकों के हितों की रक्षा ज्यादा जरुरी है, किसान मरता है तो मरता रहे।

पर ऐसा नही कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में किसानों के हितैषी होने का दम भरने वाली राज्य सरकार ही ऐसी है, बल्कि पूरे देश में किसानों, खासकर करीब साढ़े चार करोड़ गन्ना किसानों की हालत दयनीय है। अभी तक उत्तर प्रदेश में दो गन्ना किसान और कर्नाटक में एक किसान आत्महत्या कर चुकें हैं और दो किसानों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। यूपी ही नहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र का गन्ना किसान भी आंदोलित है।

कर्नाटक में राज्य सरकार नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत किसानों को 14 दिनों में उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन वहां का किसान भी आंदोलन कर रहा है, क्यों? क्योंकि नए कर्नाटक गन्ना अधिनियम 2013 के तहत किसानों के गन्ने का मूल्य फैक्टरी या मिल की हालत के अनुसार मिलेगा। यानी अगर किसी मिल में मशीनें पुरानी हैं तो उसकी उत्पादन लागत अधिक हो सकती है तो उसी हिसाब से किसानों को गन्ने की कीमत मिलेगी। कर्नाटक का गन्ना किसान आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि मिलें अपने खातों में घालमेल करके नुकसान दिखाने में माहिर होती हैं और इस कारण किसान को गन्ने के अच्छे दाम मिलेंगे इस पर शंका है। और रही बात 14 दिनों में गन्ने के भुगतान करने की तो ऐसा न कर पाने की सूरत में मिल मालिकों को सजा का प्रावधान था, जिसे सरकार ने हटा लिया है। अब पूरी आशंका है कि समय पर भुगतान नहीं होगा।

कर्नाटक का गन्ना किसान आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि मिलें अपने खातों में घालमेल करके नुकसान दिखाने में माहिर होती हैं और इस कारण किसान को गन्ने के अच्छे दाम मिलेंगे इस पर शंका है। और रही बात 14 दिनों में गन्ने के भुगतान करने की तो ऐसा न कर पाने की सूरत में मिल मालिकों को सजा का प्रावधान था, जिसे सरकार ने हटा लिया है। अब पूरी आशंका है कि समय पर भुगतान नहीं होगा।

यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है कि अधिकतर राज्य सरकारें कांट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके की खेती को किसानों की सभी समस्याओं का हल मानती हैं। और कई राज्यों में कांट्रैक्ट फार्मिंग शुरू भी की गई है। पंजाब जैसे राज्य में कांट्रैक्ट फार्मिंग के बुरे परिणाम सामने आने लगे हैं लेकिन देश में सबसे पुरानी कांट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था, गन्ना किसानों के साथ मिलों की है और उसके विफल होने से कांट्रैक्ट फार्मिंग की पूरी अवधारण पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

पूरे देश में ही देखें जहां–जहां गन्ना किसान है वहां– वहां कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर या अन्य मांगों को लेकर आंदोलन अभी भी थमा नहीं है। सरकार तो आम जनता की आवाज होती है। गरीब दबे–कुचले लोगों का सहारा होती है लेकिन सरकार का रुख तो उस मां कि तरह हो गया है जो अपने बच्चे को रुलाने वाले को ही दुलार रही है। देश में हर नीति कंपनियों, उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर ही बन रही है। असल में केंद्र सरकार एक रोचक खेल खेल रही है, चार

साल तक कारपोरेट्स की सेवा करो और अंतिम साल कभी मनरेगा या कभी खाद्य सुरक्षा बिल का चारा थोड़ा गरीबों के आगे भी डाल दो। और मध्यम वर्ग तो अपने संघर्षों में ही उलझा है उसे इसी में उलझाए रखो, कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दो, कभी डीजल की मार और महंगाई का रोना तो अब आउट ऑफ फैशन हो गया है।

लेकिन सोचने वाली बात है कि देश जिसे अन्नदाता कहता है, और अब तो टीवी पर भी सदी के महानायक हमें अन्नदाता से मिलवाते हैं, वो अन्नदाता आज गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों में सबसे अधिक है। ऐसा क्यों है? क्यों गन्ना किसान जिसे कभी समृद्ध समझा जाता था आज आत्महत्या कर रहा है और उसका शोषण करने वाली शुगर मिलों के मालिक करोड़ोंपति से अब अरबपति बनने की ओर अग्रसर हैं।

कई कारण हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण है आधुनिक युग की 'इकोनोमिक थ्योरी' यानी आर्थिक सिद्धांत। असल में कहा जाता है कि दुनिया की 'इकोनोमिक थ्योरी' का आधार 'ट्रिकल डाउन इफैक्ट' है यानी साहब लोगों का प्याला छलकेगा तो हम गरीबों को भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन इन साहब लोगों का प्याला भरता ही नहीं तो छलकेगा कैसे। इस इकोनोमिक थ्योरी को लेकर दुनियाभर में सवाल उठने लगे हैं। जब आप अपनी नीतियां इस 'ट्रिकल डाउन इफैक्ट' के आधार पर बनाते हैं तो फिर ये तो तय है कि आपकी हर नीति उस 'ऊपर वाले' को ध्यान में रखकर बनेगी, जिसका प्याला भरने का हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं और ऐसी नीति देश के गरीबों और किसानों का भला नहीं कर पाएगी। गन्ना किसानों के मामले में भी सरकार ने मिलों के बारे में ही सोचा।

उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, गन्ने का पेराई सीजन 2013–14 शुरू हुए करीब दो महीने बीतने के बाद सरकार ने मिलों को तमाम रियायतें देने का वायदा किया और गन्ना किसान सत्यपाल सिंह की आत्महत्या के बाद चार दिसंबर के आसपास मिलें चालू की गईं। मिलों से कहा गया कि आपके नुकसान को देखते हुए गन्ने के दाम वहीं रहेंगे जो पिछले साल थे यानी 280 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार गन्ना

उत्पादन की लागत 251 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है यानी लागत पिछले साल से 27 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई है। लेकिन इसे भी मिलें एकमुश्त नहीं चुकाएंगी, बल्कि शुरूआत में भुगतान 260 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा और पेराई सीजन खत्म होने के बाद बाकी के 20 रुपये दिए जाएंगे।

गन्ना की फसल देर से काटने का प्रभाव भी गन्ना किसानों पर पड़ रहा है, उन्हे अगली फसल गेहूं के लिए खेत तैयार करने हैं इसलिए किसानों को मजबूरी में गन्ने को 110 से 140 रुपये प्रति क्विंटल के दामों पर कोल्हू में बेचना पड़ा। अगर राज्य सरकार भी समय पर एसएपी तय कर देती तो किसानों को कोल्हू वाले से ही 50 से 60 रुपये प्रति क्विंटल भाव अधिक मिल जाते, लेकिन किसानों के हित का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार और मिल मालिकों की मिलीभगत पर इसके बाद कोई शंका नहीं रह जाती।

लेकिन केंद्र सरकार इसमें किसानों की मदद कर सकती थी और उसके लिए 1978 के एक द सुगर अंडरटेकिंग एक्ट कानून का सहारा लिया जा सकता था। 1978 में बने इस अधिनियम के तहत किसानों की मदद के लिए और मिल मालिकों की मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार प्रबंधन को अपने कब्जे में ले सकती हैं, हालांकि राज्य सरकार भी 1971 में बने अधिनियम एक्ट नंबर 23 के तहत मिलों के अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू कर सकती है, लेकिन शायद ऐसी उम्मीद उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से करना बेमानी होगा।

मजेदार बात है कि मिल चालू न

करने के पीछे सबसे बड़ी वजह मिलों को हो रहे आर्थिक नुकसान की बताई जा रही है। मिलों का कहना है कि चीनी का भाव पिछले साल के 35 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है, इसलिए उन्हे लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। लेकिन अगर गहराई में देखें तो मौजूदा स्थिति में भी चीनी मिलों को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर चीनी का भाव चीनी मिलों को 30 रुपये किलोग्राम भी मिलता है तब भी एक क्विंटल गन्ने से मिलों को उत्तर प्रदेश में नौ किलोग्राम चीनी, खोई, शीरा और मैली प्राप्त होते है। यानी कुल मिलाकर आमदनी करीब 400 रुपये की होती है। इसमें मिलें 50 रुपये प्रति क्विंटल खर्च निकाल भी दें, तब भी 350 रुपये गन्ने का भाव किसानों को दिया जा सकता है।

हाल ही में कोर्ट में दिए एक हलफनामें से यह साबित होता है कि मिलें लाभ में हैं और उन्होंने अपने शेयर धारकों को मुनाफे में लाभांश भी दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान का मिलों के लाभ में कोई हिस्सा नहीं तो फिर नुकसान किसान के हिस्से क्यों आए? इसे वर्ष 2004 से 2008 के उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब चीनी के दाम 14 रुपये से 42 रुपये किलोग्राम तक आ गए थे, तब इन चीनी मिलों ने किसानों को अपने लाभ में से कोई हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि इस मुनाफे से मिल मालिकों ने चीनी मिलों की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 मिलें कर ली थीं। अब वैसे भी जब मिल मालिकों को घाटा ही नहीं है तो यह संकट क्यों?

एक और उदाहरण से मिलों का झूठ सामने आ जाता है, बजाज चीनी मिल और धामपुर चीनी मिल के पास उत्तर प्रदेश में करीब 28 मिलें हैं, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार लाभांश देने के बावजूद उनके कैश रिजर्व में क्रमशः 4,000 करोड़ रुपये व 1,100 करोड़ रुपये हैं, और बजाज मिल ने करीब 1,735 करोड़ रुपये और धामपुर ने लगभग 300 करोड़ रुपये अपनी निजी कंपनियों को ऋण दिया है। मिल मालिकों का तो यह हाल है कि उच्च न्यायालय के 4 जुलाई 2013 के आदेश के बावजूद पिछले सीजन का किसानों का बकाया करीब 2,300 करोड़ रुपये भी वे नहीं चुका रही हैं।

इन मिल मालिकों की मनमानी पर तुरंत लगाम लगाते हुए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो भी तमाम कानून होते हुए भी। मिलों के पास औसतन करीब 20 से 25 करोड़ रुपये तक बकाया है, अब सोचिए अगर सरकार कानून का लाभ लेकर करीब 500 करोड़ रुपये की मिल का अधिकरण करने की बात भी करती तो अगले दिन ही किसानों का बकाया भुगतान हो गया होता और पेराई चालू हो गई होती और सत्यपाल सिंह को जान न गंवानी पड़ती।

मिल मालिकों के हित की सरकारी सोच सी. रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट में भी नजर आती है जिसमें रंगराजन का भी झुकाव मिलों की तरफ ही दिखा था जैसे लेवी चीनी का कोटा समाप्त करने की सिफारिश आदि। और मिल मालिक रंगराजन कमेटी के सुझावों को लागू करवाने के लिए किसानों की बांह मरोड़ रहें हैं और अपने हित में सरकार से फैसले भी करा रहे हैं। अगर देश में चीनी का भंडार, खपत से अधिक है तो इसमें किसान का क्या दोष? किसान ने इस बार गन्ना कम लगाया है, फिर भी चीनी का उत्पादन करीब 250 लाख टन होने की उम्मीद है जबकि देश में खपत करीब 220 लाख टन चीनी की है। यानी इस बार भी चीनी का स्टॉक अधिक रहेगा और किसानों की मुसीबत आने वाले समय में और बढ़ेगी।

असल में देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के केंद्र में किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े और तथाकथित किसान नेता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिल मालिकों की परेशानियों से अवगत कराया था। पत्र में कहा गया था कि चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 40 से 60 फीसदी किया जाए, साथ ही चीनी मिलों को 4 से 5 वर्ष के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिया जाए, जिसका ब्याज सरकार चुकाएगी। अब ऐसे किसान नेताओं के बारे में क्या कहना जो जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं और मिल मालिकों के हितैषी है और साथ ही सरकार को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। हालांकि सरकार ने भी उनकी थोड़ी बहुत सुनकर 'बेचारे' मिल मालिकों को लाभ तो दे दिया लेकिन किसान का क्या?

साफ है कि, सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता अब किसान नहीं हैं और किसान संगठन भी सिर्फ रस्म अदायगी ही कर रहे हैं। किसानों को अपनी लड़ाई अपने हाथों में लेनी होगी और गन्ना के विकल्प के बारे में भी सोचना होगा। हर साल गन्ना किसानों की यही दुर्दशा होती है और पता नहीं वे किस से आस लगाए बैठें रहते हैं। किसानों को पूरी तरह एकजुट होना होगा और नीतियों में बदलाव के लिए लंबा संघर्ष करना होगा और मौजूदा आर्थिक नीति को उलट देना होगा, अपने लिए... देश के लिए... ❑